20 दिसम्बर, 2022 (नवम्बर-दिसम्बर संयुक्तांक) ❋ वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-11-12

राजस्थान सुजस

#मॉडल_स्टेट_राजस्थान

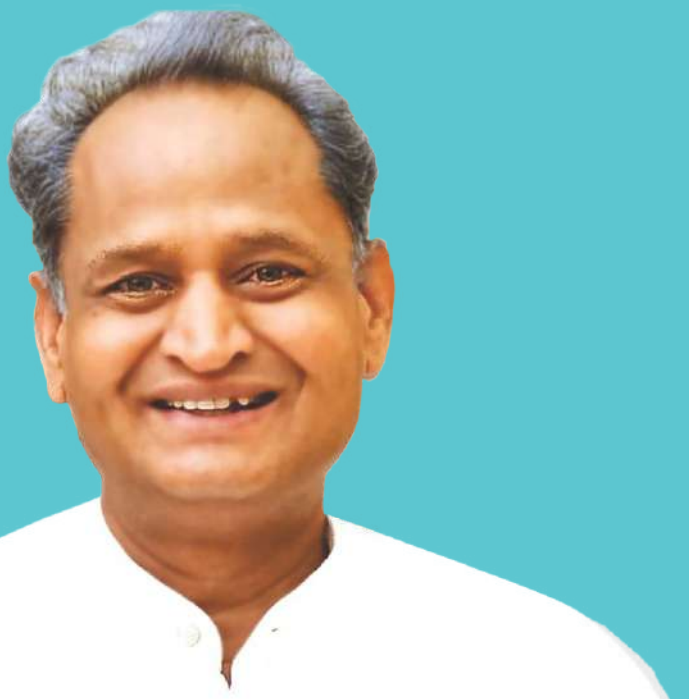

4 वर्ष

जनसेवा, सबका सम्मान
आगे बढ़ता राजस्थान

सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म

पुष्कर मेला

सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से राज्य का सबसे प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 1 से 8 नवम्बर 2022 तक अजमेर स्थित पुष्कर में आयोजित किया गया। मेले में देशी-विदेशी पर्यटकों एवं लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। स्थानीय खेलों और हजारों सालों की समृद्ध परम्पराओं ने सभी का मन मोह लिया।

आलेख व छायाः संतोष कुमार प्रजापति, जनसम्पर्क अधिकारी

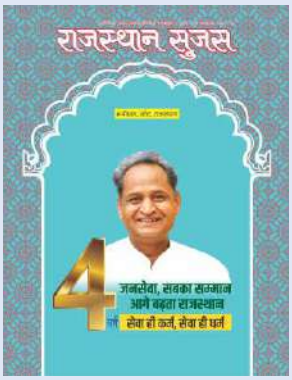

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-सम्पादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

सहायक सम्पादक
महेश पारीक

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 11-12 | नवम्बर-दिसम्बर, 2022

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
संदेशः मुख्यमंत्री	05
संदेशः सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री	06
Trendsetter Rajasthan	26
इंदिरा रसोई योजना	40
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना	42
राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना	44
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं	46
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	48
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल	50
आई एम शक्ति उड़ान योजना	53
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना	54
महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय	55
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना	58
धरोहर	59
मॉडल स्टेट राजस्थान	60

साक्षात्कार

07

चहुंमुखी विकास

17

जोधपुर डिजिफेस्ट

28

बेमिसाल चार साल

32

फोटो फीचर

30-31

अनूठी योजनाएं

37

रोजगार मेला

56

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

सब पर ध्यान, संवरता राजस्थान

संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं। इन चार वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण सहित सभी वर्गों के उत्थान को केंद्र में रखकर नीतिगत फैसले लिए और इस दिशा में जनकल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए।

हर क्षेत्र और वर्ग के विकास की दूरगामी सोच के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने के जो प्रयास इन चार वर्षों में किए गए, उनका परिणाम है कि राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, एमएसएमई अधिनियम, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जैसे कार्यक्रम सरकार के ऐतिहासिक कदम कहे जा सकते हैं, जिनसे प्रदेश की तस्वीर और जरूरतमंद वर्गों की तकदीर बदली है।

सफलता के कई सोपान हासिल करते हुए वर्ष 2022 सुनहरी यादों के साथ विदा हो रहा है और नववर्ष 2023 का नई उम्मीदों के साथ आगमन हो रहा है। राजस्थान सुजस के 31वें वर्ष का अंतिम अंक नवम्बर-दिसम्बर माह के संयुक्तांक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। विगत 31 वर्ष के सुजस के इस सफर में आप सभी सुधी पाठकों का भरपूर स्नेह इस पत्रिका को मिला है। आशा है कि आपके जुड़ाव और सकारात्मक सुझावों से यह प्रकाशन निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होगा।

आप सभी पाठकों का आभार एवं नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान सम्पादक

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वर्तमान राज्य सरकार के सफल चार वर्ष पूर्ण होने पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान की पत्रिका राजस्थान सुजस में राज्य सरकार की अर्जित उपलब्धियों पर विशेष सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है।

संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और आमजन के कल्याण के लिए पिछले चार वर्षो में संकल्पबद्धता के साथ कदम उठाए हैं। प्रदेशवासियों के अनवरत सहयोग, समर्थन और विश्वास से राज्य सरकार ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान लोगों का जीवन और आजीविका बचाने में प्रभावी प्रबन्धन किया जिसकी देश और दुनिया में सराहना हुई है।

वैश्विक महामारी जैसी चुनौती के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन, उद्योग, रोजगार आदि क्षेत्रों में हुए विकास कार्यो से प्रदेश में चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और समाज के सभी वर्गो तक इसका लाभ पहुंच सका।

सुजस पत्रिका की सामग्री पिछले चार सालों में प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध हुई है।

मैं सभी प्रदेशवासियों को नये वर्ष की बधाई देते हुए राज्य में तेज गति से विकास और आमजन की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए आशा करता हूं कि राजस्थान की प्रगति में सभी नागरिकों के सहयोग, विश्वास और सद्भाव से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करने में सफल हो सकेगा।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वर्तमान राज्य सरकार के सफल चार वर्ष पूर्ण होने पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान की पत्रिका राजस्थान सुजस में राज्य सरकार की अर्जित उपलब्धियों पर विशेष सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए सफलतापूर्वक चार साल पूरे किए हैं। इन चार वर्षों में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह राज्य सरकार ने जन घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानते हुए जो वादे किए थे, उन्हें धरातल पर मूर्त रूप दिया है। इन चार वर्षों में कई विकट चुनौतियों का सामना करते हुए जननायक मुख्यमंत्री जी ने अपने सुशासन का एक बार पुन: लोहा मनवाते हुए यह साबित किया है कि जनकल्याण की दिशा में उनके कदम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान, इंदिरा रसोई योजना, पालनहार योजना जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं उनकी आमजन के प्रति संवेदनशीलता की ही बानगी हैं।

युवा प्रदेश और देश का भविष्य हैं। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी तादाद में उद्योगों को राजस्थान में निवेश की खातिर आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट, डिजिफेस्ट एवं रोजगार मेलों के आयोजन और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड काल में सरकारी भर्तियां नहीं होने के कारण बेरोजगार युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास और खेलों में प्रदेश को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक खेलों जैसी नई पहल की, जिसकी पूरे देश में सराहना की गई है।

राज्य सरकार प्रदेश के वंचित-शोषित वर्ग, किसान, महिला, युवा, उद्यमी, अल्पसंख्यक समेत हर तबके के उत्थान और विकास को लेकर कटिबद्ध है। आइए, हम सभी मिलकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हों और इसके लिए मन, वचन और कर्म से सार्थक भूमिका निभाएं। प्रदेश सरकार के सफल चार वर्ष पूर्ण होने पर पुन: हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनसंपर्क विभाग की मासिक राजस्थान सुजस के पाठकों को इस अवसर पर मेरी ओर से विशेष मंगलकामनाएं।

(अशोक चाँदना)
राज्यमंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

समृद्ध राजस्थान, सुदृढ़ राजस्थान

"विगत वर्षों में पूरे देश का कोरोना महामारी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से सामना हुआ है। राज्य के समक्ष भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां प्रकट हुई हैं, जिनसे राज्य की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तमाम कठिनाइयों के बीच जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने, जन घोषणाओं के वादों को निभाने, आमजन को एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के संकल्प को पूरा करने में राज्य सरकार सफल रही है।"

राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से जनसम्पर्क अधिकारी अमन दीप विश्नोई एवं देवेन्द्र सिंह द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश...

आज राजस्थान को देश में बाकी राज्यों की तुलना में कहां खड़ा पाते हैं?

राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। राजस्थान में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत 28 लाख लोगों को नि:शुल्क इलाज मिल चुका है। सभी प्रकार की दवाइयां और जांचें नि:शुल्क कर दी गई हैं। देश में मातृ मृत्युदर में सर्वाधिक गिरावट राजस्थान में दर्ज की गई है। वर्ष 2017-19 के आंकड़ों के अनुसार जहां राज्य में मातृ मृत्युदर 141 थी, जो घटकर 113 हो गई है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्युदर 41.3 से गिरकर 30.3 हो गई है। ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के क्रम में लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। इंदिरा रसोई योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना द्वारा शहरी क्षेत्र के गरीब तबके को महंगाई और बेरोजगारी से राहत प्रदान की जा रही है। राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए 20 हजार से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिवर्ष 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में नि:शुल्क पढ़ाई का प्रावधान भी किया गया है। आज सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता बेहतर हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सड़क, बिजली, पेयजल, खेल आदि सभी क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में राज्य ने अप्रत्याशित प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ा है।

सुशासन स्थापित करने के लिए जवाबदेही एवं पारदर्शिता आवश्यक तत्व हैं। इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा तीसरा कार्यकाल है। एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही

है। इसी सोच के साथ हमने नीति निर्माण का कार्य किया है। आज आमजन को 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आमजन के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया को सरल करते हुए अनिवार्य एफआईआर की पहल की गई है। संपर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जवाबदेह और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑथोरिटी के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे राजकीय विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आकलन हो सकेगा तथा योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा।

कोविड महामारी के बाद प्रदेश के पशुपालकों को लम्पी रोग की मार झेलनी पड़ी। राज्य सरकार द्वारा पशुओं में फैले इस रोग की रोकथाम के लिए बनाई गई कार्ययोजना के बारे में बताएं।

लम्पी स्किन डिजीज संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए गए। लम्पी रोग की रोकथाम के लिए राज्य में आयुर्वेदिक औषधि किट वितरित किए गए। जनप्रतिनिधि, पशुपालक, गौशाला संचालक, अधिकारी व आमजन से लगातार संवाद किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करके तथा पशुधन से जुड़े समाज के विभिन्न तबकों को साथ लेकर लम्पी स्किन डिजीज के विरुद्ध लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी गई। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां साल में 9 महीने गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल आज देशभर में चर्चा का विषय है। राज्य सरकार ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की?

राज्य सरकार ने आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आमजन को 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले इलाज में 10 लाख की सीमा के अतिरिक्त इलाज का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश में आईपीडी और ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार नि:शुल्क कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन कर उभरा है। चिरंजीवी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जहां एक तरफ आमजन की जेब पर भार कम हुआ है, वहीं सरकारी अस्पतालों की आय में तिगुना इजाफा हुआ है। आज राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हैल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आ चुके हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रुपये से अधिक का नि:शुल्क इलाज दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करें ताकि महंगाई के इस दौर में आमजन को राहत मिल सके।

किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की पहली भूमिका होती है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

किसी भी प्रदेश की प्रगति वहां की युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में वे किसी से पीछे न रहें। राज्य में गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'फ्लैगशिप योजना' के रूप में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। आमजन के रूझान को देखते हुए राज्य में नवम्बर 2022 तक कुल 1,658 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कोविड के कारण हुई नौनिहालों की शैक्षणिक क्षति की भरपाई के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से 'ब्रिज कोर्स' शुरू किया गया है।

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 69,763 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है तथा 79,345 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार की शिक्षा केन्द्रित नीतियों का ही परिणाम है कि इन्स्पायर अवॉर्ड तथा फिट इण्डिया मूवमेंट में राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है वहीं, शिक्षा क्षेत्र के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में राज्य का स्कोर काफी अच्छा रहा है। 500 से अधिक बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालयों को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का अहम फैसला लिया गया है। यही वजह है कि पहले जहां बालिकाओं का नामांकन कम होता था, वहीं आज शैक्षणिक संस्थाओं में इनकी संख्या बालकों से ज्यादा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के जरिए विद्यार्थियों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो रहा है। इन योजनाओं में पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है।

कृषक कल्याण में राज्य सरकार हमेशा अग्रणी रही है। किसानों के चहुंमुखी विकास के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताइए।

हमारे देश में किसान अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं। किसान की खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चार सालों में किसानों के हित में हमारी सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले लिए हैं। इस बार के

वित्तीय बजट में हम किसानों के लिए अलग से कृषि बजट लेकर आए हैं। किसानों की ऋणमाफी, किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत बिजली बिल में छूट, तारबंदी के लिए अनुदान, मशीनरी खरीद के लिए अनुदान सहित कई अहम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये गए हैं। ऊर्जा मित्र योजना से 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के अंतर्गत महंगे यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। 748 कस्टम हायरिंग केन्द्रों से सस्ती दरों पर किसानों को ट्रेक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर आदि कृषि यंत्र व उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा 28 लाख लघु व सीमांत किसानों को बुवाई के लिए नि:शुल्क बीज मिनीकिट्स वितरण का कार्य किया जा रहा है। चार सालों में किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत 46,574 कृषक सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित कर चुके हैं। राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत तारबंदी के लिए किसानों को 110 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को नि:शुल्क भंडारण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें अपनी उपज कम दाम पर न बेचनी पड़े। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत ग्रीन हाउस, शेडनेट, लॉ-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग आदि तकनीकों के उपयोग के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को प्रभावी एवं सुरक्षित तरीके से कम समय में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 29 कृषि महाविद्यालय स्थापित किये गए हैं। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के माध्यम से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने तथा 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को पुन: कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा इंदिरा गांधी नहर की री-अलाइनिंग रिकॉर्ड समय में पूरी की गई, ताकि नहरबंदी से किसानों को परेशानी न हो तथा पानी के रिसाव को रोका जा सके।

आमजन को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय रहा है। इस दिशा में लिए गए निर्णयों के बारे में बताइए।

आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सहायता करना प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है। सामाजिक सुरक्षा की बात हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी की गई है। प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को पेंशन देकर राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विभिन्न वर्गों तथा असहाय लोगों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। राज्य में रहने वाले बुजुर्ग, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग नागरिकों सहित सभी जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए इस योजना में लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे वह अपना जीवनयापन सम्मानपूर्वक कर सकें। राजकीय कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के क्रम में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने से 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हुआ है। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बोर्ड का गठन कर उनके लिए बजट आवंटित करने तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का कार्य किया जा रहा है। समाज को जागरूक करने में पत्रकारों की महत्ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना लागू की गई है। इस प्रकार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक हासिल कर रही है।

देशभर में बेरोजगारी आज एक प्रमुख समस्या है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

प्रत्येक युवा अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहता है। राज्य सरकार युवाओं के सपने साकार करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब तक लगभग 1.35 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, लगभग 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख नौकरियों की और घोषणा की गई है। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेशक राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिससे वृहद् रूप में रोजगार सृजित हुए हैं। प्रदेश में 9.23 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं,

जिनसे 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्टार्ट-अप्स के द्वारा भी बड़े स्तर पर रोजगार सृजित किया गया है। लगभग 21 हजार युवाओं को इन स्टार्ट-अप्स के माध्यम से रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिनमें हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। जल्द ही सभी जिलों में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना द्वारा शहरी क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा है। यह प्रदेश सरकार की साफ मंशा का ही परिणाम है कि आज राज्य में रोजगार को लेकर अन्य राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति है। रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने तथा युवाओं की रोजगारोन्मुखी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा।

विगत कुछ वर्षों में निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हुए हैं। राजस्थान में निवेश के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे क्या मुख्य कारण रहे हैं?

राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। यहां का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ-साथ उत्कृष्ट सड़क तंत्र, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन एवं बेहतर कानून व्यवस्था ने राज्य में निवेश लाने में महत्ती भूमिका निभाई है। एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2022, रिप्स-2019, सिंगल विन्डो सिस्टम एवं वन स्टॉप शॉप से उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां मिलना आसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण राज्य में लेबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है। आज रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) की 393 इकाइयां राज्य में संचालित हैं तथा 87 नई इकाइयां खुलने जा रही हैं जिससे औद्योगिकीकरण का विस्तार उपखण्ड व तहसील स्तर तक हो जाएगा। राज्य में सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिकीरण का एक अनुपम सम्मिश्रण स्थापित हुआ है। यही कारण है कि कोरोना महामारी में आई दिक्कतों के बावजूद वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021-22 में राज्य की जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 1.80 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

अक्टूबर, 2022 में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देशभर से 4,000 उद्योगपति सम्मिलित हुए एवं 10.44 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए। राज्य में पहली बार ''कमिटेड एण्ड डिलिवर्ड'' की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साईन हुए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई एमएसएमई नीति लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेट जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इन उद्योगों को उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही, नई एमएसएमई पॉलिसी में रिसर्च एंड डवलपमेंट में सहयोग, ई-बाजार की सुविधा, क्लस्टर डवलपमेंट, सुरक्षा योजना, फैसिलिटेशन काउंटर और रिस्क कवरेज का प्रावधान भी किया गया है। इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि एमएसएमई इकाइयों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में 72 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लॉन्च की गई, जो हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग तथा निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ लुप्त हो रहे परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स उत्पादों के संरक्षण पर केन्द्रित है। राज्य सरकार, सीआईआई (चेम्बर ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ कार्य कर रही है। तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में इनोवेशन हब एवं इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है।

पिछले कुछ समय में प्रदेश में खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

हम प्रदेश में खेलों के लिए आदर्श माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे भविष्य में राज्य की प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों, जनसमुदाय, खेल प्रशिक्षकों और प्रशासन के आपसी समन्वय से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन सफल हुआ तथा प्रदेश में एक नयी खेल संस्कृति विकसित हुई। 30 लाख खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया, जिनमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को

खोजकर उन्हें निखारने का कार्य कर रही है। ग्रामीण ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देकर इन्हें बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाएगा। जल्द ही शहरी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए शहरी ओलंपिक खेल भी शुरू होने जा रहे हैं। प्रदेश में खेल मैदानों का विकास, खिलाड़ियों को संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर में उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त पैरा खेल अकादमियां स्थापित की जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के साथ 229 खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियां दी गई हैं। खिलाड़ियों को डीवाईएसपी स्तर के पदों पर भी नियुक्ति दी जा रही है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने पेंशन शुरू की है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। राज्य सरकार खिलाड़ियों की मंशा के अनुरूप निर्णय ले रही है। इससे खिलाड़ियों में अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ा है। पैरा-ओलंपिक में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार की नीतियों से आने वाले समय में राजस्थान खेल जगत में सिरमौर बनेगा।

आपके जीवन पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रदेश में गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है?

गांधी जी के विचार आज भी सारे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने विचारों और जीवनशैली से संसार को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी अहिंसावादी विचारधारा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा जिसका सभी देशों ने अनुमोदन किया। आज इस दिन को पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मना रही है। यह देश के लिए गौरव का विषय है। पूरे विश्व में देश को गांधीवादी विचारधारा से एक अलग पहचान मिली है। इस वर्ष गांधी जयन्ती के अवसर पर गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले पांच गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने एवं महात्मा गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए हिंसामुक्त समाज की स्थापना के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर 'शांति एवं अहिंसा विभाग' का निर्माण किया गया है। राजस्थान ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। आज जब सारा विश्व हिंसा व अशांति से जूझ रहा है, ऐसे समय में मात्र गांधीवादी सोच ही विश्व को शांति और अहिंसा की ओर अग्रसर कर सकती है। गांधीवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की गई है। इसके अलावा युवाओं को गांधी जी के विचारों से जोड़ने के लिए समय-समय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। आज विविधताओं से भरे हमारे देश में युवाओं की चेतना में गांधी जी के विचारों का व्यापक समावेश आवश्यक है।

भारत के संघीय ढांचे में राज्यों के विकास में केन्द्र सरकार की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। ईआरसीपी और अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार का बीते चार साल में क्या रुख रहा है एवं आगे के लिए क्या अपेक्षाएं हैं?

देश का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। सहयोगी संघवाद की अवधारणा के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक और नीतिगत सहयोग अत्यंत आवश्यक है। विगत कुछ वर्षों में कोरोना महामारी से उपजी विषम परिस्थितियों से राज्यों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा वे अपने यहां संचालित सामाजिक सरोकार की योजनाओं के लिए केन्द्र पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। विभिन्न मंचों

पर हमने जीएसटी पुनर्भरण और ईआरसीपी जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा है। ईआरसीपी परियोजना प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में जयपुर व अजमेर में आयोजित सभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। धौलपुर में केन्द्रीय जल आयोग के रिवर गेज स्टेशन से प्राप्त 36 साल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का औसतन 19 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है, जबकि इस योजना में मात्र 3,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की ही आवश्यकता है। सरकार इस व्यर्थ बह रहे पानी को पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए कृतसंकल्प है। राजस्थान में रिफाइनरी की तरह ईआरसीपी की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। इससे राजकीय कोष पर अनावश्यक भार आएगा। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिए जाने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से ही इस परियोजना का कार्य जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। हमने नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के 9 हजार 600 करोड़ रुपये के काम कराने की बजट घोषणा की है। परियोजना का कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है।

प्रदेश में नारी शक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए। इनके बारे में बताएं।

महिलाओं और बालिकाओं का उत्थान राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। आई एम शक्ति उड़ान योजना से प्रदेश की महिलाओं और किशोरियों के जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव आ रहा है। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं व किशोरियों को उड़ान योजना के तहत नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन पैकेट दिए जा चुके हैं।

इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। विद्यालयों, बालिका छात्रावासों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। इसके द्वितीय चरण में लगभग 1 लाख वितरण केन्द्रों के द्वारा 10-45 आयुवर्ग की 1.45 करोड़ महिलाओं व किशोरियों को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन देने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सहजतापूर्वक ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य में परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना एवं जागृति बैक टू वर्क योजना चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए अभिनव पहल करने जा रही है। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा 1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को नि:शुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। इनमें 3 साल के लिए इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त रहेगी। इससे महिलाएं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में घर बैठे जान सकेंगी तथा देश-विदेश के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।

कर्मचारी हित में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की देशभर में सराहना हो रही है। इन पर प्रकाश डालिए।

हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया। जीवन के अहम वर्ष सरकार को देने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपनी वृद्धावस्था में किसी तरह की चिंता नहीं रहे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, यही सोचकर ओपीएस को प्रदेश में लागू किया है। राज्य सरकार की इस पहल का अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है तथा कई अन्य राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू कर राजकीय कार्मिकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इनके अलावा मंत्रालयिक संवर्ग में पद सृजित करने, बोर्ड निगमों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने, अनुकम्पा नियुक्ति के पुराने मामलों का निस्तारण, एसीआर ऑनलाइन भरने, वर्ष में 2 बार डीपीसी किये जाने सहित कर्मचारी हित में हमारी सरकार ने अनेक फैसले लिए हैं।

शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी एवं महंगाई की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। 800 करोड़ रुपये के बजट से संचालित इस योजना में अब तक शहरी क्षेत्र के 3.25 लाख से अधिक परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। योजना में लाभार्थी परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, अब इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन सम्मान के साथ परोसा जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना में अब तक 7.92 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। प्रदेश में कुल 951 रसोइयां संचालित हैं, जिनकी संख्या 1,000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके बाद 13.81 करोड़ भोजन थाली

प्रतिवर्ष वितरण की जा सकेंगी। यह सुखद बात है कि प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं द्वारा 'न लाभ न हानि' के आधार पर रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। आज महंगाई के दौर में शहरों में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों एवं कार्मिकों सहित सभी वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत शहरी बेरोजगारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं से प्रदेश में बेरोजगारी एवं महंगाई पर एक साथ प्रहार किया जा रहा है।

कोरोना महामारी का सबसे अधिक प्रभाव पर्यटन उद्योग पर हुआ था। राज्य सरकार की नीतियों से सालभर के अंदर ही राजस्थान में यह उद्योग पुन: अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो पाया है।

पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होता है, वहीं इससे प्राप्त होने वाली आय से राज्य के विकास को गति मिलती है। परन्तु कोविड महामारी के कारण इस उद्योग को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार के सकारात्मक एवं प्रभावी निर्णयों के कारण वर्ष 2022 में राजस्थान में पर्यटकों के आगमन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष 90.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इस वर्ष सितम्बर तक 1.64 लाख विदेशी सैलानी राजस्थान घूमने आए हैं। राजस्थान का प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति लिए हुए है। लाखों पर्यटक यहां की लोक कलाओं और संस्कृति के साथ-साथ यहां के विशिष्ट व्यंजनों का अनुभव लेने राजस्थान आ रहे हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1,000 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने एवं रिप्स-2022 के तहत दी जा रही विभिन्न प्रकार की छूट से पर्यटन से आजीविका अर्जित करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला है। विद्युत बिलों में औद्योगिक दरों के लागू होने से 30 प्रतिशत तक की बचत हो रही है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है। पर्यटन इकाइयों को ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज दर में सब्सिडी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में भी आवश्यक अनुमतियों में औद्योगिक दरें लागू कर दी गई हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न विभागों द्वारा नि:शुल्क फिल्म शूटिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरटीडीसी एवं राज्य होटल कॉरपोरेशन द्वारा फिल्म निर्माण के लिए आने वाली पूरी टीम के ठहरने पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। कोरोना के बाद पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा शुरू करने के बाद सैलानियों ने बड़े स्तर पर इसमें रुचि दिखाई है। जैसलमेर में ढोला-मारू ट्यूरिज्म कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर 865 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी गई है। इसी क्रम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाओं और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन होने जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश को 21वीं सदी से जोड़ने का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्य किया गया है?

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमारे देश को आईटी के माध्यम से 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था। यह उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि देश की उन्नति के लिए उन्होंने आईटी की भूमिका को बहुत पहले ही पहचान लिया। उन्हीं की सोच पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान आईटी के क्षेत्र में पूरे देश में सिरमौर बन गया है। राज्य सरकार निरन्तर 'टेक्नोलॉजी फॉर ऑल' के विजन के साथ दूरगामी और सुखद परिणाम देने वाले कई बड़े फैसले ले रही है।

आज राजस्थान डिजिटल सर्विस डिलीवरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, दस्तावेजों के ऑनलाइन संधारण जैसे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन गया है। आईटी के जरिए हमारी सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति कर रही है। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) से योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। प्रदेश के 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। 'सूचना तकनीक से सुशासन' मूलमंत्र को आधार बनाकर सरकार योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। धरातल पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन फीडबैक से जनता और सरकार के बीच संवाद बढ़ा है।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हर व्यक्ति को सीधे सरकार से जोड़कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया था। पूरी प्रतिबद्धता से प्रदेशवासियों के बीच 'जनकल्याण' और 'जनसूचना' पोर्टल लॉन्च कर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। राज्य में लगभग 86 हजार ई-मित्र एवं 15 हजार ई-मित्र प्लस सहित राजीव गांधी सेवा केंद्रों के रूप में पंचायत स्तर तक एक वृहद नेटवर्क उपलब्ध है। ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा परामर्श भी ई-मित्रों के जरिए उपलब्ध हो रहा है। अब डिजिटल क्रांति में योजनाएं पोर्टल के साथ ही मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिनसे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी राज्य सरकार ने 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आमजन और समाज के हर विशिष्ट वर्ग से निरंतर संवाद किया। इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिया।

जयपुर में फिनिशिंग स्कूल के रूप में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलोजी (आर-कैट) की शुरुआत की है। यहां प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत एवं नवीन प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। तकनीकी शिक्षा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जोधपुर में 672 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी फिनटैक इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा। संभागीय मुख्यालयों पर भी आईटी एजुकेशन के संस्थान स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद कोटा, बीकानेर, चूरू में वर्ल्ड क्लास इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। यहां स्टार्ट-अप्स को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिल रही हैं। जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना की जा रही है। युवाओं को नई तकनीक से रू-ब-रू कराने के लिए आईटी दिवस पर राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) और डिजिफेस्ट आयोजित किया गया। राजस्थान स्टार्ट-अप नीति-2022 से प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है।

स्कूली स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हाल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए कम्प्यूटर अनुदेशक के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई। जल्द ही राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। हमारे ऐसे ही कई प्रयास भविष्य में राजीव गांधी की सोच का प्रतिबिंब बनकर चमकते नजर आएंगे।

प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़कों का विकास नागरिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जहां सड़कों का विकास होगा, वहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होगी। राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में लगातार सड़कों का निर्माण और विकास हो रहा है। गत 4 वर्षों में राज्य में 44,856 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के विकास के लिए 27,194 करोड़ रुपये की लागत से 10,560 विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें गुणवत्ता की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। साथ ही, अधिकारी नियमित एवं औचक दौरे कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने चार वर्ष के कार्यकाल में गत सरकार की अपेक्षा कई गुना कार्य किए हैं। ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण में 36,919 कि.मी. के कार्य कराए हैं। इससे ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक सड़कें पहुंचने से ग्रामीण विकास को और गति मिली है। हमारे चार साल के कार्यकाल में 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती कराई गई।

राज्य में अक्टूबर 2022 में हुए इन्वेस्ट राजस्थान समिट में निवेशकों द्वारा प्रदेश में दिखाई जा रही रुचि के पीछे राज्य का सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर एक प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर विकास में राज्य के सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भी राजस्थान देशभर में अग्रणी राज्य बन चुका है तथा इनके निर्माण के लिए राज्य सरकार तमाम तरीकों से केन्द्र सरकार का सहयोग कर रही है। दिल्ली-वडोदरा तथा अमृतसर-जामनगर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य राज्य सरकार के सहयोग के कारण तेजी से पूरा हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क राजकीय भूमि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने तथा वनक्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहा है। यही कारण है कि राज्य में तेजी से गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के लिए सरकार संकल्पित है। ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग तथा क्षतिग्रस्त सड़कें इन दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। इसी दिशा में सड़कों के चौड़ाईकरण का कार्य किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाकर उनकी त्वरित मरम्मत की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित कमी आती है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक

मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) जैसी उन्नत तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही, सख्त निगरानी तंत्र एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा भी सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा सड़क दुर्घटना के सभी मुख्य कारणों को चिह्नित कर उनके उन्मूलन का कार्य भी किया जा रहा है। विद्यार्थियों तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित किये जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाने व उसका जीवन बचाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को 5 हजार रुपये नकद प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।

आमजन को मिलावटखोरी से राहत दिलाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में चलाया जा रहा है। यह कितना सफल रहा है?

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम तथा आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान प्रभावी रूप में चलाया जा रहा है ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। इसके लिए मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा चिकित्सा विभाग में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय स्थापित किया गया है। साथ ही, अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नवीन पदों का सृजन किया गया है। माप एवं तौल में भी आदर्श बांटों के उपयोग के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन भी जल्द किया जाएगा। नवंबर 2020 से चलाए जा रहे इस अभियान को काफी सफलता मिली है और भविष्य में भी इस अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। आमजन को अभियान से जोड़ने के लिए मिलावटखोरों की सूचना देने पर पहचान गुप्त रखते हुए 50 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं?

वर्ष 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, तब राज्य में मात्र 6 विश्वविद्यालय थे और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। अब राज्य में 89 विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है। विद्यार्थियों के हितों में कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने, छात्रवृत्तियां देने और स्कूटियां वितरित करने, नए महाविद्यालय शुरू करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में पिछले 70 साल में 250 कॉलेज खुले, जबकि अकेले चार साल में 211 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 94 बालिका महाविद्यालय हैं। आज राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज स्थापित हो रहे हैं।

वर्तमान में महाविद्यालयों में छात्रों से ज्यादा छात्राओं की संख्या दर्शाती है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। बालिकाओं का शिक्षित होना और सत्ता में भागीदार बनना बेहद जरूरी है। उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन किया गया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा।

प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, लॉ, पत्रकारिता तथा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सहित अनेक विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित हो चुके हैं। घर के नजदीक ही शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य है जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी विधि महाविद्यालय संबद्ध हैं। प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गाइडलाइन्स-2022 को स्वीकृति दी गई है ताकि विद्यार्थियों को एक

तनावमुक्त तथा सुरक्षित माहौल मिल सके। इस तरह प्रदेश सरकार के निर्णयों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आज एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है।

ऐतिहासिक रूप से पिछड़े तबकों का विकास हमेशा राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। वर्तमान कार्यकाल में एससी-एसटी वर्ग के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएं।

किसी भी विकासशील देश के लिए यह आवश्यक होता है कि आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में एससी-एसटी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एससी-एसटी वर्ग के कॉलेज विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जाति कोष को आवंटित की जाने वाली राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की गई है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 823 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 34 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेड़कर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दलित उद्यमियों को आर्थिक रूप से संबल देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 में ''डॉ. बी.आर. अंबेडकर एससी-एसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज'' के तहत विशेष छूट दी जा रही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, राजकीय अंबेडकर छात्रावास, अजा-अजजा वर्ग की महिला उद्यमियों के स्किल अपग्रेडेशन जैसी बजट घोषणाओं से इन वर्गों को समाज में आगे आने का अवसर मिल रहा है। रिप्स-2022 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति/जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का एससी-एसटी उत्थान का संकल्प इन महत्त्वाकांक्षी योजनाओं से सार्थक हो रहा है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष शेष रहा है। इस एक साल में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है?

पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने विपरीत आर्थिक परिस्थितियों, कोविड महामारी और अन्य कठिनाइयों से जूझते हुए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया है। हमारा आने वाला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। पिछले 4 सालों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क, उद्योग हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित हुए हैं। पिछले चारों बजट प्रदेश के विकास को गति देने वाले रहे हैं।

अपने मेनिफेस्टो को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर पहले वर्ष में ही राज्य सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। जनता से किये गए अधिकतर वादे राज्य सरकार ने गत 4 वर्षों में पूरे किये हैं और शेष वादों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आगामी एक वर्ष में जनता की कठिनाइयों को दूर कर राजस्थान को विकास के हर मापदण्ड पर पहले स्थान पर लाने की सोच के साथ कार्य किया जाएगा। हमारा लक्ष्य यही है कि प्रगति के सभी सूचकांकों पर राजस्थान और राजस्थानियों की राष्ट्रीय पटल पर अलग पहचान बने।

प्रदेशवासियों के लिए आपका संदेश?

लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार की सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के मूल में यही सोच निहित है। हमने सदैव अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारी पहली और आखिरी निष्ठा जनता के प्रति है।

जनता की भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप नीतियों का निर्माण हमने किया है। आमजन का समर्थन और स्नेह हमें निरंतर जनहित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रदेशवासियों की प्रत्येक कठिनाई का निदान करना तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना हमारी सरकार का ध्येय है। जनता की आज्ञा हमारे लिए सर्वोच्च है। मेरा प्रदेशवासियों को यही संदेश है कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। राज्य सरकार आपकी सभी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से कार्य कर रही है।

मौजूदा सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो मील का पत्थर बनीं

चार साल, चहुंमुखी विकास

आलोक आनंद
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश ने आमजन को न सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाएं सुलभ करवाई है बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली और उनका जीवन आसान बनाने वाली योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और नवाचारों से पूरे देश में नजीर कायम की है। राजस्थान सरकार ने पिछले 4 सालों में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। यहां राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए ढेरों ऐसे निर्णयों में से चुनिंदा फैसले प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे राज्य सरकार को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन के मूलमंत्र को साकार करने में मदद मिली है।

* **मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना:** इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जा रहे हैं।
* **मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना:** इस योजना में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार व शुक्रवार को दूध वितरण किया जा रहा है।
* **मेगा जॉब फेयर:** युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इन जॉब फेयर्स में नामी कंपनियों द्वारा मौके पर ही प्लेसमेंट दिए जा रहे हैं। इसमें देश की नामी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं।
* **आई.टी. जॉब फेयर:** आईटी सेक्टर में करिअर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए आईटी जॉब फेयर का आयोजन 11 से 13 नवम्बर, 2022 को किया गया। इसमें 250 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और युवाओं का ऑन द स्पॉट सलेक्शन किया।
* **प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज:** राज्य के प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। 22 नवम्बर को 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की नींव रखी जा चुकी है। 26 नवीन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ।
* **मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना:** प्रदेश की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसकी मदद से महिला अपने घर से आजीविका प्राप्त कर परिवार में

सहयोग कर सकती है। प्रशिक्षण के लिए 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

* **इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना:** बालिकाओं और महिलाओं के लिए कम्प्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए यह योजना शुरू की गई है। आरकेसीएल द्वारा आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, जीएसटी, टैली आधारित वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण और स्पोकन इंग्लिश एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण जैसे कोर्स निःशुल्क करवाए जाएंगे।
* **राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट:** इस आईटी फिनिशिंग स्कूल से युवा आईटी क्षेत्र में एडवांस व विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। इस स्टेट पब्लिक इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत चार स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रस्तावित हैं। जोधपुर में इस संस्थान की नींव 13 नवम्बर, 2022 को रखी जा चुकी है।
* **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी और जवाबदेही विधेयक 2022:** राज्य के निवासियों को सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाया।
* **स्टोन मार्ट प्रदर्शनी:** खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शनी 'स्टोन मार्ट 2022' का 10 से 13 नवम्बर, 2022 तक आयोजन किया। प्रदर्शनी में दुनिया भर से 350 से अधिक प्रदर्शन आए।
* **ओल्ड पेंशन स्कीम:** बजट 2022-23 में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। एनपीएस में की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से बंद।
* **राजस्थान कन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022:** इनके लागू होने से 1 लाख 10 हजार संविदाकर्मी नियमित होने जा रहे हैं।
* वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन की गई।
* **समय पर पदोन्नती:** आवश्यकतानुसार, वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक। विभागीय स्तर पर ही डीपीसी की व्यवस्था की गई है।
* कार्मिकों, पेंशनरों तथा आश्रितों को कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।
* **नई सरकारी नौकरियाँ:** 1.36 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गई। 1.20 लाख सरकारी भर्तियां प्रक्रियाधीन। 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित हैं।
* केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा भी तुरंत प्रभाव से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।
* लगभग 1 लाख प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट दिये जायेंगे।
* 69,681 अध्यापकों की नवीन भर्ती। लगभग 90 हजार शिक्षक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन।
* राज्य में 1,670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा।
* 10 हजार अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का नवीन कैडेर।
* राज्य के सभी सेकेण्डरी स्कूलों को सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का निर्णय।
* प्रतिवर्ष 20,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण।
* बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना एवं गार्गी पुरस्कार के तहत 180.69 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी।
* आरटीई के तहत 1,274.78 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्भरण।
* मेडि-टेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, जयपुर।
* जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब। कुल लागत 200 करोड़ रुपये।
* फिनिशिंग स्कूल R-CAT स्थापित किया जाएगा।
* गत 4 वर्षों में 211 नवीन महाविद्यालय खोले गए। इनमें से 94 कन्या महाविद्यालय।
* जिन विद्यालयों में 500 से अधिक छात्राएं हैं वहां कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा।
* राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में प्रतिवर्ष 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन। 238 विद्यार्थियों को पत्र जारी किए गए।
* गत 4 वर्षों में 42 नवीन कृषि महाविद्यालय।
* **पेंशन:** प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों को वृद्धजन सम्मान पेंशन, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ। अब तक 31,761

करोड़ रुपये की पेंशन जारी।

* **राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019:** सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त होने या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता एवं परिवार को पेंशन। अब तक 768.54 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी।
* **मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना:** आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई। अब तक 48,269 लाभार्थियों को 165 करोड़ रुपये की सहायता।
* **छात्रवृत्तियाँ:** उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 26 लाख विद्यार्थियों को 3,100 करोड़ रुपये की सहायता ।
* **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नि:शुल्क इलाज:** समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर, इनडोर, दवाइयाँ एवं जाँच सहित समस्त इलाज नि:शुल्क निजी अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा अब तक 28.34 लाख मरीजों का 3,278 करोड़ रुपये का नि:शुल्क इलाज। साथ में 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा ।
* **पालनहार योजना:** अनाथ एवं अन्य पात्र बच्चों को पात्रतानुसार 500 से 2,500 रुपये प्रतिमाह तक आर्थिक सहायता। अब तक 6 लाख 64 हजार बच्चों को 2,235 करोड़ रुपये की सहायता।
* **एक रुपये किलो गेहूं:** अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के 1 करोड़ 39 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं खिलाया जाता है।
* **मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना:** विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपये एकमुश्त व 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन। अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपये एकमुश्त, 18 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह 2,500 रुपये की सहायता एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता।
* **इंदिरा रसोई:** 957 इंदिरा रसोइयों में 8 रुपए में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये अनुदान।
* **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना:** शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। अब तक 3 लाख 33 हजार जॉब कार्ड जारी।
* **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना:** पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह एवं महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह। अब तक 6.12 लाख बेरोजगारों को 1,697 करोड़ रुपये का भत्ता ।
* **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना:** प्रति वर्ष 15 हजार युवाओं को नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा।
* **सस्ती घरेलू बिजली:** 38.34 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य।
* **किसानों को सस्ती बिजली:** कृषि बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं। कुल 16 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान।
* **मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना:** किसानों को कृषि बिजली कनेक्शनों पर 1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान। 7.70 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य।
* **उड़ान योजना:** बालिकाओं व महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क। लगभग 1.45 करोड़ किशोरियों एवं महिलाओं को मिलेगा लाभ।
* **राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल:** दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन। लगभग 30 लाख लोगों ने लिया भाग। शहरी ओलंपिक खेल भी होंगे आयोजित।
* **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना:** दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान। अब तक कुल 718 करोड़ रुपये का अनुदान।
* **स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फेसिलिटी:** जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब।
* **प्रशासन शहरों के संग अभियान:** प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को राजकीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किये जाने एवं उनके प्रतिदिन के कार्य व समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में सरलीकरण कर राज्य की सभी नगरीय निकायों में 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 का शुभारंभ। अब तक 5 लाख से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं।
* **महिला सुरक्षा प्राथमिकता:** महिला सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक नवाचार किए हैं। महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, निर्भया स्कवॉड महिला गश्ती दल, महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।
* **सिटी पार्क:** जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रदेश का सबसे ऊंचा 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है।
* **इन्वेस्ट राजस्थान:** यह एक ऐतिहासिक आयोजन रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का लॉन्च। 33

औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण (इन्वेस्ट राजस्थान के निवेश प्रस्ताव)। रीको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन। कुल 10.44 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित।

* **भारत जोड़ो सेतु:** 250 करोड़ की लागत से सोडाला एलीवेटेड रोड 'भारत जोड़ो सेतु' प्रदेश की जनता के लिए लोकार्पित।
* **शांति एवं अहिंसा विभाग:** महात्मा गांधी के मूल्यों के प्रचार-प्रसार हेतु शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
* **लम्पी स्किन रोग प्रबंधन:** गोवंश में फैले लम्पी स्किन रोग के प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष, उपचार दल, 30 करोड़ के व्यय से वैक्सीन खरीद, हेल्पलाइन, गोवंश टीकाकरण, 46 लाख लम्पी गोट पॉक्स वैक्सीन की खरीद, गोशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अवधि में बढ़ोतरी जैसे ऐतिहासिक निर्णय कर रोग को नियंत्रित किया गया।
* किसानों के हित में कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित।
* कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित।
* कृषि मण्डियों में दुकान व भूखण्डों के आवंटन में अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2005 में संशोधन कर प्रथम एवं द्वितीय चरण में नि:शक्तजन वर्ग को रिक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्डो में 03 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
* कृषि मण्डियों में अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु भूखण्डों के आवंटन में पूर्व में अनुसूचित जाति/जनजाति व नि:शक्तजन वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं था, अब प्रस्तावित नीति में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 30 प्रतिशत एवं नि:शक्तजन वर्ग हेतु 4 प्रतिशत भूखण्डों आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया है।
* कृषक वर्ग हेतु भूखण्डों के आवंटन में निर्धारित आरक्षित दर में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया हैं। पंजीकृत कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी (FPO/FPC) को आवंटन योग्य रिक्त दुकानों/भूखण्डों में से 05 प्रतिशत भूखण्ड आवंटन का प्रावधान किया गया है।
* **राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना-2009:** वर्तमान में ''राजीव गॉधी कृषक साथी सहायता योजना-2009'' लागू की हुई है। इसके अन्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/अंगभंग होने की परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मृत्यु की स्थिति में 2.00 लाख रुपये एवं अंगभंग की स्थिति में 5,000 से 50,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10,290 कृषकों/खेतीहर मजदूरों/पल्लेदारों को लाभान्वित किया गया तथा उनको 15,285.78 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।
* **किसान कलेवा योजना 2014:** राज्य की कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगणों में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु आने वाले कृषकों तथा मण्डी समितियों में कार्यरत पंजीकृत हम्मालों, पल्लेदारों को 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1.21 करोड़ किसानों/पल्लेदारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया एवं 3,028.24 लाख रुपये व्यय किये गये।
* **महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015:** यह योजना राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों/पल्लेदारों/तुलाइकारों की सहायतार्थ लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत महिला अनुज्ञप्तिधारी को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, छात्रवृति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, आदि सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,511 हम्मालों/ पल्लेदारों/ तुलाइकारों को लाभान्वित कर 1,204.70 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।
* **कृषक उपहार योजना 2022:** कृषि उपज को e-NAM के माध्यम से विक्रय करने तथा e-Payment के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को e-NAM के माध्यम से विक्रय करते है।
* **सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तीकरण योजना:** राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय पश्चात ई-भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला

कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 45 महिला कृषकों को 36 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में अक्टूबर, 2022 तक 22 महिला कृषकों को 21 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए।

* वर्ष 2021-22 मे कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत 2 हजार करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी। किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये किया गया।
* वर्ष 2022-23 में समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशनों की घोषणा की गयी।
* महिला सशक्तीकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 69,669 छात्राओं को 10+2 कृषि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि तथा पी.एच.डी. में अध्ययन हेतु क्रमश: 5,000, 12,000 तथा 15,000 रु. प्रति छात्रा प्रतिवर्ष के अनुसार 4,570.59 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी गयी है।
* राज्य सरकार द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत बनाया गया है जो कि सिंगल विण्डो प्लेटफॉर्म के रूप मे कार्य कर रहा है, जिसमें कृषि एवं संबंधित विभागों के आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है।
* मेगा फूड पार्क जोधपुर का कार्य प्रगतिरत है तथा 9 मिनी फूड पार्क नागौर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर एवं पाली में विकसित किए जा रहे हैं।
* **किसान भवन:** किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्देश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन उपलब्ध।
* राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 जारी की गई है। योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है।
* परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2021 लागू की गयी।
* समर्थ योजना (आफ्टर केयर) के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देखरेख छोड़ रहे बालक/बालिकाओं को शिक्षा, रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। योजना के तहत 53 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
* **वात्सल्य योजना (फोस्टर केयर):** पारिवारिक देखभाल से वंचित 0-18 वर्ष आयु के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा वात्सल्य योजना लागू की गई है। बच्चे का पालन-पोषण व देखभाल करने वाले पोषक माता/पिता को एक निश्चित अवधि तक पालन-पोषण भत्ते के रूप में 2,000 रुपये प्रतिमाह जारी की जा सकेगी। योजना के तहत 41 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
* **उत्कर्ष योजना:** 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में देखरेख के लिये उनके जैविक या विस्तारित परिवार में सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उत्कर्ष योजना लागू की गयी है। योजना के तहत् 191 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
* गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के तहत 0-18 वर्ष आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है, के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी का संचालन 2021 में प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में योजना के तहत् 129 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
* **बाल मित्र योजना:** राज्य सरकार द्वारा लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालकाओं एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता एवं बच्चे को सहयोग प्रदान करने के लिए बाल मित्र योजना लागू की गई हैं। योजना में बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) की सेवायें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में योजना के तहत् 256 बाल मित्र द्वारा सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं।
* **नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार:** सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिनव पहल के रूप में वर्ष 2021 में ''नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम, 2021'' लागू किये गये हैं। 14 नवम्बर, 2021 को कुल 6

सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवी सस्थाओं को वर्ष 2021 के लिये सम्मानित किया गया है।

* **जोधपुर में बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना:** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के सामाजिक पुनर्समेकन, बेहतर जीवनयापन एवं आजीविकोपार्जन के लिए बुनियादी कौशल प्रशिक्षण, व्यावहारिक- आचरण प्रशिक्षण, जीवनवृत्ति मार्गदर्शन एवं उनकी पूर्ण क्षमताओं को निखारने के लिए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जोधपुर में ''बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र'' का संचालन किया जा रहा है।
* **कौशल विकास प्रशिक्षण:** जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर के राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवासरत बालकों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने एवं रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से 900 से अधिक बालकों को बेसिक कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिक, मोबाइल उपकरण रिपेयरिंग तथा जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
* वर्तमान सरकार ने किसानों के हितो को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये अपना पहला फैसला किसानों को समर्पित किया है। राज्य सरकार के आदेश 19.12.2018 द्वारा राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार पात्र पाये गये ऋणी कृषकों का दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया।
* ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करते हुए हिस्सा राशि 5 लाख रुपये से कम कर 3 लाख रुपये एवं सदस्य संख्या 500 से कम करने के आदेश 11 मार्च, 2022 को जारी किए जा चुके हैं।
* 18.60 लाख रुपये की वित्तीय सहायता महिला सहकारी समितियों को प्रदान की गई है जिसमें से 1.50 लाख रु. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की महिला समिति को और 2 लाख रु. अनुसूचित जाति क्षेत्र की महिला समितियों को प्रदान किये हैं।
* केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अनूसूचित जाति के कृषकों को 5,087.84 करोड अनूसूचित जनजाति के 5,442.37 करोड़ तथा महिलाओं को 5,563 करोड़ को अल्पकालीन ऋण वितरण किया गया।
* प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा अनूसूचित जाति के 1,858 कृषकों को 48.70 करोड़ रुपये अनूसूचित जनजाति के 601 कृषकों को 14.17 करोड़ रुपये तथा 2,443 महिलाओं को 65.11 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया।
* राज्य के बी.पी.एल. कार्ड धारकों को देवस्थान विभाग की राज्य के बाहर अवस्थित सभी धर्मशालाओं में नि:शुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की गयी।
* वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2019-20 में प्रथम बार तीर्थ श्री पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू (नेपाल) की 2,113 यात्रियों को यात्रा करवायी गयी।
* कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना में 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवायी गई। 2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया।
* देवस्थान विभाग के मंदिरों के संपदा संबंधी रेकार्ड के संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से रेकॉर्ड की स्कैनिंग कर डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 5.79 लाख पृष्ठों की स्केनिंग का कार्य किया गया जो कि R-eams Portal पर उपलब्ध है।
* **हाफ-वे-होम:** जयपुर एवं जोधपुर में हॉफ-वे-होम का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
* कक्षा 1 से 4 तक तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृत्ति राशि को 40 से बढ़ाकर 500 एवं 50 से बढ़ाकर 600 रु. प्रतिमाह किया।
* **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी, 2019 को प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया।
* आपदा घटित होने पर त्वरित कार्रवाही एवं मॉनिटरिंग करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य आपदा परिचालन केन्द्र की स्थापना की गयी।
* विभाग द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने एवं प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रतिमाह कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता सहायता। शिविर एवं प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

किया जाता है। जिला मुख्यालयों पर कुल 989 कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, कैम्पस प्लेसमेन्ट, ऑनलाइन शिविरों का आयोजन कर 88,362 युवाओं को लाभान्वित किया गया है जिसमें से 66,004 आशार्थियों को रोजगार अवसरों हेतु प्राथमिक चयनित किया गया।

* **मॉडल कैरियर सेन्टर:** रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेंटर्स के रूप में अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर उनके द्वारा युवाओं को रोजगार के नवीनतम अवसरों की जानकारी प्रदान कर उचित व स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता की जा रही है।
* नवीन सौर ऊर्जा तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की गई।
* 34 हजार 200 मेगावॉट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज जारी।
* बी.पी.एल एवं 150 यूनिट तक के घरेलू एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को द्वैमासिक बिलिंग।
* सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किये जाने का निर्णय किया गया है।
* विच्छेदित कृषि कनेक्शनों को पुन: जीवित करने की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया गया है।
* 3 लाख 3 हजार 321 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी।
* गोरक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा गोशालाओं में छोटे पशु को मिलने वाले पशुधन की अनुदान राशि 16 की जगह 20 रुपये एवं बड़े पशु को 32 रु. की जगह 40 रुपये करने की घोषणा की गई।
* गौशालाओं को भरण-पोषण हेतु पात्रता की शर्त दो वर्ष पूर्व का पंजीयन के स्थान पर एक वर्ष का पंजीयन तथा न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर न्यूनतम 100 गोवंश करने का निर्णय किया।
* चारे की बढ़ती हुई दरों एवं गौशालाओं की मांग पर गौशालाओं को 6 माह के स्थान पर 9 माह के अनुदान की घोषणा।
* 49 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।
* राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 89 नवीन विषय प्रारंभ किये गये।
* राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 128 नवीन विषय प्रारंभ किये गये।
* राजकीय महाविद्यालयों में 74 नवीन संकाय प्रारंभ किये गये।
* 38 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण किये गये।
* 172 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 781 करोड़ रु. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।
* 675 नवीन निजी महाविद्यालयों को अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गए।
* 189 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए निजी महाविद्यालयों को अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गए।
* **देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना:** 2483 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण एवं 4841 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।
* **काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना:** 3940 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण कर दिया गया है।
* **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना:** 2,80,111 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई।
* **विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना:** 1069 विधवा/परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं को छात्रवृति वितरित।
* कोटा विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रु. और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं जयनारायण विश्वविद्यालय प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना के विकास के लिए दिए गए।
* राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के HRDC को 5.25 करोड़ रु. संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन हेतु दिये गये।
* राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर को 13 करोड़ रुपये, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर को 19.5 करोड़ रुपये एवं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बारां को 6.5 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना हेतु दिए गए है।
* राजकीय महाविद्यालय पोकरण (जैसलमेर), राजकीय महाविद्यालय रेवदर (सिरोही), राजकीय महाविद्यालय बसेडी (धौलपुर), राजकीय महाविद्यालय मांगरोल (बारां), राजकीय महाविद्यालय सपोटरा (करौली) को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक को 9 करोड रु. की राशि जारी।
* समस्त महाविद्यालयों को NAAC द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संबंधित प्रशिक्षण एवं सहायता देने हेतु State Level Quality Assurance Cell (SLQAC) का पुनर्गठन एवं राजस्थान के सभी सात संभागों के अनुसार संभागवार Division Level Quality Assurance Cell (DLQAC) का गठन किया गया। SLQAC एवं DLQAC

द्वारा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

* SLQAC के सतत प्रयासों के फलस्वरूप गत दो वर्षों में 10 राजकीय महाविद्यालयों का NAAC द्वारा प्रत्यायन हुआ है जिसमें लगातार उच्च ग्रेड प्राप्त हुआ है। शेष योग्य महाविद्यालयों ने भी प्रत्यायन करवाने हेतु प्रकिया प्रारंभ कर दी है।

* आम जन की समस्याओं की सुनवाई एवं उनके विधिपूर्ण समाधान करने के लिए अपराधों के निर्बाध पंजीकरण की नीति अपनाने का निर्णय किया गया।

* **पुलिस आरक्षी को अनुसंधान के लिए अधिकृत किया जाना:** राज्य में पुलिस थानों में पदस्थापित आरक्षी को अधिकतम 02 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध के अनुसंधान हेतु अधिकृत किया गया है। अब तक समस्त चयनित 4903 कॉनिस्टेबल में से 4,576 कॉनिस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

* **साइबर फोरेन्सिक-सह-प्रशिक्षण लैब की स्थापना:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने एवं अनुसंधान हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से निर्भया फण्ड के तहत महिलाओं व बच्चों के विरूद्ध होने वाले साइबर अपराधों की रोकथान के लिए सीसीपीडब्लूसी (Cyber crime Prevention against Women and Children) योजना के तहत साइबर फोरेन्सिक-सह-प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गईं। इस लैब में एक साथ 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता हैं।

* **SIUCAW(Special Investigation Unit For Crime Against Women):** राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले गंभीर अपराधों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राज्य के समस्त जिलों में SIUCAW यूनिट का गठन कर उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया गया था, जिससे उक्त अपराधों के अनुसंधान में लगने वाले समय में कमी आयी है।

  वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी पदस्थापित।

* **राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन:** राज्य सरकार द्वारा बलात्कार एवं पॉक्सो प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु शासन सचिव, गृह (विधि) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसके द्वारा सचिवालय में साप्ताहिक मीटिंग आयोजित कर प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

* **Heinous Crimes Monitoring Unit (HCMU) की स्थापना:** राज्य एवं जिला स्तर पर गंभीर व जघन्य अपराधों के अनुसंधान एवं ट्रायल के निकट पर्यवेक्षण हेतु Heinous Crimes Monitoring Unit (HCMU) की स्थापना की गई है जिसमें रेंज स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पदस्थापित किय गया है।

* **जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष पर WhatsApp Helpline नम्बर :** सभी जिला नियंत्रण कक्ष पर किसी घटना एवं अपराध की जानकारी त्वरित रूप से पुलिस को अवगत कराने के लिए WhatsApp नम्बर की सुविधा प्रारम्भ की गई।

* **थानों में स्वागत कक्ष निर्माण:** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी थानों को Public Friendly बनाये जाने के उद्देश्य से स्वागत कक्ष का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। 890 स्वागत कक्ष बन कर तैयार हो चुके है।

* **राजस्थान पुलिस Help Desk- Twitter Account:** आमजन की सहायतार्थ Rajasthan Police Help Desk-Twitter Account प्रारम्भ किया गया। सोशल मीडिया सेल इस Twitter Account को मोनिटर करते हुए आमजन को सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान कर रही है और प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है।

* **स्वागत कक्ष संचालन प्रशिक्षण:** समस्त जिलों के पुलिस थानों में स्वागत कक्ष विषय के संबंध में जिला स्तर पर 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी)' के माध्यम से 6161 पुलिस कार्मिकों को स्वागत कक्ष संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

* **मॉडल पुलिस स्टेशन संचालन का प्रशिक्षण:** राज्य के प्रत्येक जिले के सभी सर्किलों में एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाये जाने का पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया गया। मॉडल पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाकर राजस्थान पुलिस एकादमी, जयपुर मे 308 अधिकारियों को मॉडल पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

* **दूर संचार पुलिस में कॉमन कैडर की स्थापना:** पुलिस आधुनिकी तकनीकी एवं प्रौद्योगिक में कार्यरत स्टाफ की क्षमता का राजकार्य हित में समुचित उपयोग करने तथा अधीनस्थ कार्मिकों के अवरुद्ध पदों पर पदोन्नति विसंगति समाप्त कर पदोन्नति के शीघ्र अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पुलिस दूरसंचार में विद्यमान अलग-अलग कैडर्स को विलय कर एक तकनीकी

कैडर–''कॉमन कैडर'' बनाने का गजट नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार प्रकाशित किया गया। नोटिफिकेशन की पालना में पुलिस दूरसंचार के अधीनस्थ सेवा के अलग-अलग उप संवर्ग का विलयन कर एक कॉमन संवर्ग बनाया गया।

* **RISF का गठन:** राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की तीन 15वीं,16वीं एवं 17वीं बटालियन आरएसी (औद्योगिक सुरक्षा बल) के प्रस्ताव तैयार।

* **दुर्घटना मे कमी लाने के लिये पुरस्कार योजना:** राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहत्तरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क दुर्घटना मृत्युदर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ 03 जिलों को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

* **जीवन रक्षक योजना:** मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 33.0 द्वारा राज्य में जीवन रक्षक योजना का प्रारम्भ कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशंसा पत्र दिये जाने का निर्णय किया गया।

* **ट्रेफिक एडपोस्ट की स्थापना:** वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गो व राज्य राजमार्गो पर ट्रेफिक एडपोस्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया।

* **सड़क सुरक्षा ऑडिट:** राज्य में अन्य राजमार्गो की सड़क सुरक्षा ऑडिट हेतु जिला जयपुर के अलावा सभी जिलों में सड़क सुरक्षा ऑडिट टीम गठित करवाई जाकर ऑडिट व सुधारात्मक कार्यवाही जारी है।

* **हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस वाहन का सेमी-एम्बुलेन्स में रूपान्तरण:** राज्य में संचालित 86 हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस वाहन में से 59 वाहनों में प्राथमिक उपचार किट व एक फोल्डेबल स्ट्रेचर रखवाया गया तथा हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस वाहन के जाप्ते को बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

* **दुर्घटना रहित सड़क की अवधारणा:** शांहजहांपुर से अजमेर (एनएच-48 व 448), बर-बिलाड़ा से जोधपुर (एनएच-25) तथा सीकर से बीकानेर (एनएच 11 व 52) तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय किया गया है। इस हेतु ऑडिट करवाई जाकर सुधारात्मक कार्य जारी है।

* **टॉप-10 योजना:** इसके द्वारा थाना, वृत्त, जिला, रेंज व राज्य स्तर पर 10-10 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की योजना लागू की गई। 04 वर्षो में अब तक इस योजना में 8727 अपराधियों को चिन्हत कर गिरफ्तार किया जा चुका है।

* **आवाज अभियान: AAWAJ- Action Against Women Related Crime and Awareness for Justice:** महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए संपूर्ण राज्य में आवाज अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सजगता, युवाओं में उनके प्रति सम्मान, और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति आमजन को पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया के जरिये जागरूक किया गया।

* **सुरक्षा सखी योजना:** राजस्थान राज्य में महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा एक नवीन पहल ''सुरक्षा सखी योजना'' को 26.03.2021 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्या अथवा अपराध की रोकथाम पर सकारात्मक संवाद स्थापित किया किया जा रहा है।

* **राजकॉप एप:** एससीआरबी द्वारा राजकॉप एप में नयी सुविधाएं शामिल की गई है और भविष्य के लिए और भी नयी सुविधाएं इसके माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है।

  राजकॉप एप में पुलिस वेब पोर्टल आईडी के बजाय एसएसओ आईडी से लॉगिन, राजस्थान पुलिस मेल का एकीकरण, सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में अभियुक्त की फोटो अपलोड करने की सुविधा, राजएलएमएस ट्रैनिंग एप का लिंक देने संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है एवं पूर्व में उपलब्ध मोबाईल धारक एवं वाहन मालिक का नाम, पता जानने की सुविधा को समस्त पुलिस अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसी एप पर अनुसंधान अधिकारियों के लिए केस डायरी फीचर उपलब्ध कराया गया है।

* **राजकॉप सिटीजन एप:** एससीआरबी द्वारा राजकॉप सिटीजन एप के माध्यम से आम नागरिकों के लिए एसओएस (इमरजेंसी हैल्प) की सुविधाएं, शिकायत पंजीकरण, व्यू एफआईआर, रिपोर्ट, व्हीकल सर्च, रिपोर्ट क्राईम, महिला सुरक्षा, हैल्पलाईन मोबाइल नम्बर, किरायेदार/नौकर सत्यापन, पुलिस स्टेशन सर्च करने की सुविधा प्रदान किये जाने की शुरूआत की गई है।

RAJASTHAN IS NOW AMONGST THE FRONT RANKING MODEL WELFARE STATES IN THE COUNTRY

Sanjeev Srivastava
Senior Journalist

Ever since Shri Ashok Gehlot was first sworn in as the state Chief Minister in 1998, he has made Rajasthan a model welfare state for the poor, elderly and the less privileged sections. At the end of four years of his third term he can take pride in the fact that with a plethora of welfare and Jan Kalyan schemes, Rajasthan is now undoubtably amongst the front ranking model welfare states in the country.

It has not been an easy task considering the challenges he has faced in his third term at the helm of affairs in the state but he can look with satisfaction on having made considerable headway on the issues which have been most dear to the Chief Minister's heart.

The Covid management remained a top priority for the Chief Minister for nearly two years and everything else became secondary. It is to the state government's credit that, compared to other states, Rajasthan came out with flying colours on almost all covid related matrix. Rajasthan was amongst the first states to make use of masks mandatory. The shortage of oxygen or hospital beds was managed very efficiently. Medicines were procured on time and there was constant vigil and monitoring at the chief minister's level to ensure covid situation never created the kind of panic and alarm one would read and hear about in other parts of the country. The Rajasthan model of covid management was such that even patients from other states came and benefited from a relatively efficient handling of the pandemic here.

The State Government's sensitivity and concern was not just limited to having an efficient covid control and care system on the ground. The empathy and concern continued even for the families of those who suffered bereavement. Special financial assistance was given for covid widows and orphans to ensure their future remains secure.

The pathbreaking initiatives in the health sector which Shri Ashok Gehlot has unleashed in this term find no parallel across the country. The Chief Minister has always maintained that health services should be accorded top priority as any serious disease can make not only a poor but even a middle class family to wipe out their life savings but even force them into a debt trap pushing them into a life of uncertainty, misery and poverty.

In a bid to ensure that health issues do not leave a permanent scar on the affected family, Rajasthan Government has launched the Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima

As the Ashok Gehlot led congress government completes four years in office in mid-December, it can look back with satisfaction on having made considerable headway on an issue which has been most dear to the chief minister's heart.

Yojana for universal health insurance which allows cashless treatment of not just chronic and severe ailments but even organ transplants. Coupled with the Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana (free medicine) and Mukhyamantri Nishulk Jaanch Yojana (free diagnostic testing) and with the Right to Health bill in its final stages of deliberations, one can say with a fair degree of certainty that there is no other state in the country which comes near Rajasthan when it comes to provide relief to the needy in the health sector. Rajasthan has always maintained good record in MNREGA, which benefits the rural poor in times of distress. But this year Rajasthan government has taken another giant leap to ensure employment to the urban poor and unemployed as well under the recently launched Indira Gandhi Shehri Rozgar Yojana. Another scheme aimed at benefiting the urban needy is the Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana.

Social security and pensions have been a hallmark of Shri Gehlot's governance model since his first tenure. This time Chief Minister has extended the social security cover much wider. Now the social security and pension cover includes universal pensions for elderly, disabled and widows, a Palanhar Yojana which provides social security assistance for orphaned children.

The reintroduction of the old pension scheme (OPS) for

government employees is another welfare-oriented masterstroke. It meets a long-standing grievance of government employees, who comprise a substantial, relevant and influential chunk of the state population. By bringing back the OPS, the Chief Minister even made other governments to bring back the old pension scheme in their respective state.

For the Dalits and Tribals, Rajasthan Government has come up with a dedicated financial allocation package through the SCP TSP Law, becoming the fourth state in the country to pass a legislation for the same. For nutrition and ensuring that no one goes to bed hungry, the government has come up with schemes like Indira Rasoi. Kitchens have been set up across the state at vantage locations to serve a nutritious and wholesome meal at a subsidized rate of Rs 8 only. There are many other schemes which take inspiration from the Chief Minister's desire to serve the needy and the poor and make Rajasthan a model welfare state. Shri Ashok Gehlot often says that as a chief minister nothing gives him more satisfaction and pleasure than putting his signature on orders aimed at helping the less privileged.

On that score he can look back and feel good about his achievements during his third term.

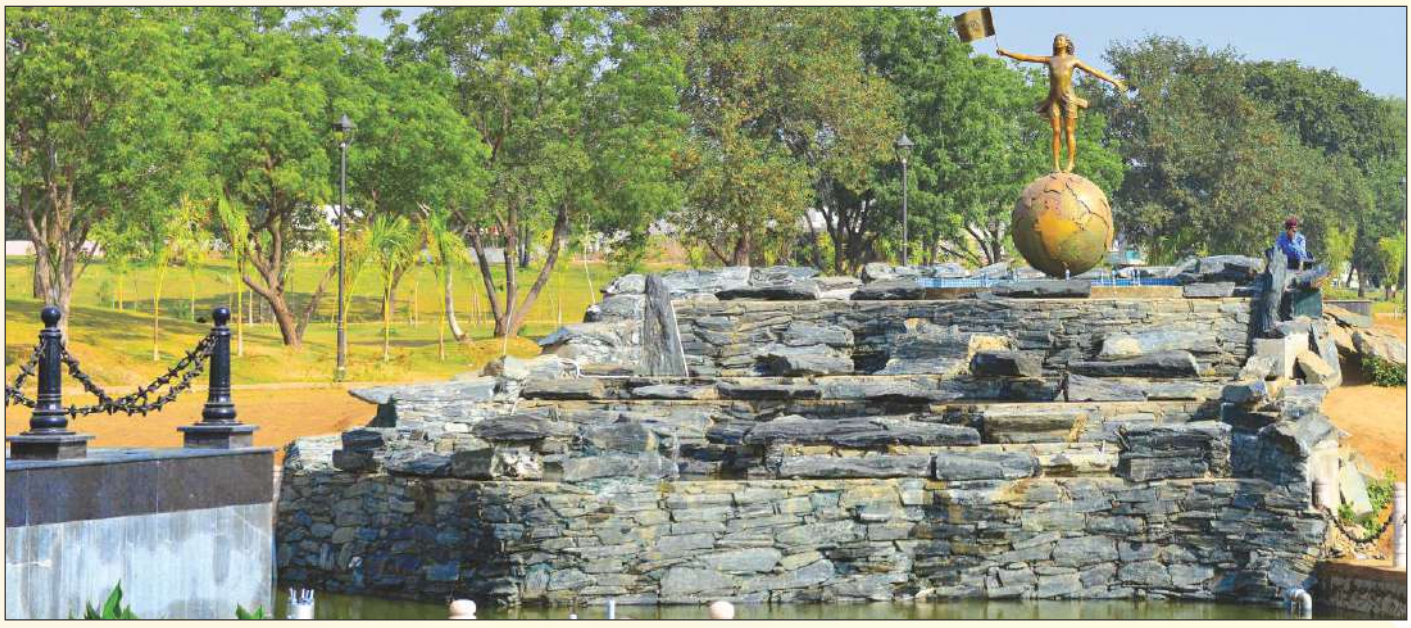

छाया: पिंकी फुलवारिया

जोधपुर डिजिफेस्ट–2022

डिजिटल क्रांति के नवाचारों का जोधपुर में भव्य नजारा, जॉब फेयर में हजारों युवाओं को मिली नौकरियां

डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने, युवा प्रतिभाओं के नवाचारों को मंच देने और उन्हें रोजगार के अवसर दिलाने के मजबूत इरादे के साथ तीन-दिवसीय जोधपुर डिजिफेस्ट-2022 का आयोजन 11 से 13 नवम्बर, 2022 को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल के तहत जयपुर के बाद जोधपुर डिजिफेस्ट भी नवाचारों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ और इसमें भाग लेने के लिए प्रदेश और देश के मेधावी युवाओं का जोश देखते ही बना। आईटी प्रतिभाओं के इस महाकुंभ में देश के विभिन्न प्रान्तों से सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं अन्य तकनीकी विषयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और साथ ही विभिन्न विषय विशेषज्ञ तथा स्टार्टअप से जुड़ी हस्तियों ने भी इस समारोह में नव प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया। साथ ही इस अवसर पर लगाए गए जॉब फेयर में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

मुख्यमंत्री ने किया युवाओं का उत्साहवर्धन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे हुए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा जॉब फेयर में आए युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर डिजिफेस्ट के पहले ही दिन प्रतिष्ठित कम्पनियों से 18 लाख के उत्कृष्ट पैकेज प्राप्त करने वाले 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

9200 युवा हुए शॉर्टलिस्ट, 3500 से अधिक को मिली नौकरियां

तीन दिवसीय डिजिफेस्ट में जॉब फेयर में हजारों युवाओं को नौकरियों की सौगात मिली। तीन दिनों में औसतन 225 कंपनियों ने हजारों युवाओं के साक्षात्कार लिए और 9,200 से अधिक युवाओं को शॉटलिस्ट किया गया। हजारों युवाओं को नौकरियों के अवसर देने वाले डिजीफेस्ट का 13 नवम्बर को समापन हुआ।

जॉब फेयर में तीनों दिन युवाओं की उपस्थिति उत्साहजनक रही। तीन दिन की अवधि में 23 हजार से अधिक युवा जॉब फेयर में शामिल हुए और 9 हजार 200 से अधिक युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। जॉब फेयर में 3,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए।

ट्रेनिंग और काउंसलिंग सत्रों का आयोजन

जॉब फेयर के दौरान युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श सत्रों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने युवाओं को कौशल विकास के गुर सिखाए। साथ ही उन्हें रिज्यूमे बनाने, साक्षात्कार देने और नौकरी पाने के लिए आवश्यक पहलुओं की जानकारी भी दी गई।

स्टार्टअप एक्सपो में सत्रों का आयोजन

इस अवसर पर आयोजित स्टार्टअप एक्सपो में युवाओं ने विभिन्न स्टार्अअप सत्रों में उत्साह के साथ भाग लिया। इन सत्रों को अनेक विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

रोजगार के प्रमुख क्षेत्र

आईटी/आईटीईएस, इंजीनियरिंग, बीपीओ, परामर्श, बैंकिंग और वित्त, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, खुदरा, दूरसंचार, बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से शीर्ष प्रसिद्ध कंपनियां और ब्रांड जॉब फेयर में उपस्थित रहे।

जॉब फेयर में सम्मिलित हुई प्रमुख कंपनियां

टीसीएस, इंफोसिस, जेनपैक्ट, केपीएमजी, अदानी ग्रीन, रिलायंस जियो, एलएंडटी, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एलआईसी, बजाज ऑटो, वोडाफोन जैसी बड़ी कम्पनियां तथा जीनस पावर, ओएसिस, ईकॉम एक्सप्रेस, फ्यूजन माइक्रो, डीबी कॉर्प, सॉफ्टेक, विजन इंडियन, पैट्रन जैसी छोटी एवं मध्यम आकार की कंपनियों ने साक्षात्कार के अंतिम दौर के लिए 9,200 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया और 3,500 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया।

पैकेज व शीर्ष भर्ती कर्ता

जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले, उनके पैकेज की पेशकश 1.5 लाख से 18 लाख रु. प्रति वर्ष के बीच रही। जॉब फेयर में सबसे अधिक नौकरी की पेशकश करने वाले शीर्ष भर्तीकर्ताओं में जीनस पावर, ओएसिस, ईकॉम एक्सप्रेस, फ्यूजन माइक्रो, डीबी कॉर्प, पैट्रॉन, विजन इंडिया, एलएंडटी फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज मोटर्स, भारत फाइनेंशियल, किटज़ोन टेक्नोलॉजीज आदि सम्मिलित रहे।

राजस्थान स्टार्टअप नीति–2022 का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डिजिफेस्ट के समापन समारोह में राजस्थान स्टार्टअप नीति–2022 का विमोचन किया। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें एससी–एसटी सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

जोधपुर और पाली में इंक्यूबेटर सेंटर शुरू

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में उद्यमिता, कौशल विकास के लिए जोधपुर और पाली (वर्चुअल) में आई–स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने सेन्टर के नवनिर्मित भवन का अवलोकन कर युवाओं के साथ संवाद करते हुए तकनीकी जानकारी एवं उनकी भविष्य की कल्पनाओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान श्री गहलोत ने स्कूल एण्ड रूरल इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं को 41.15 लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक पुरस्कार के रूप में वितरित किए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर तथा चूरू में इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित हो चुके हैं।

12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपये की फंडिंग

मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रदेश के 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपये की फंडिंग भी वितरित की। उल्लेखनीय है कि आई–स्टार्ट के तहत अभी 3,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। इन्हें 30 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिससे प्रदेश में 200 करोड़ रुपये तक का निवेश आया है। साथ ही 21 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

राजस्थान डिजिटल यात्रा रवाना

राज्य सरकार अपनी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आईटी का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल यात्रा के माध्यम से लोगों के जीवन में तकनीक के कारण आये परिवर्तन के बारे में जाना जायेगा एवं इसके आधार पर आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसी भी योजना की शुरुआत से पहले लोगों से उसके बारे में संवाद करने की यह पहल राज्य सरकार के साथ–साथ नागरिकों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। तकनीक से जुड़कर चलने एवं नागरिकों को इसका सर्वाधिक लाभ प्रदान कर जीवन आसान करने की राज्य सरकार की नीति सराहनीय है एवं इसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ई–गवर्नेंस की सफलता के साथ ही राजस्थान में जवाबदेह एवं पारदर्शी सुशासन की स्थापना का संकल्प साकार हो रहा है।

जयपुर संभाग: भारत जोड़ो सेतु, जयपुर

छायाचित्र: मूजस

भरतपुर संभाग: महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, संविधान पार्क

छायाचित्र: छगन लाल यादव

अजमेर संभाग: एलिवेटेड रोड, अजमेर

छायाचित्र: भानुप्रताप सिंह गुर्जर

कोटा संभाग: एरोड्रम अंडरपास, कोटा

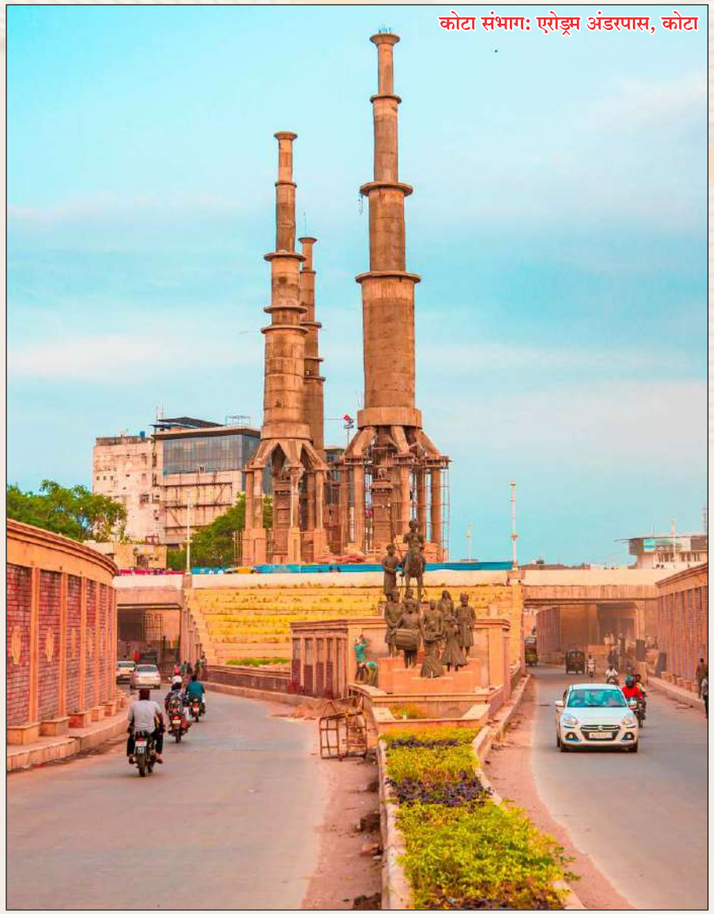

छायाचित्र: हरिओम सिंह गुर्जर

उदयपुर संभाग: आरएनटी मेडिकल कॉलेज और
महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक , उदयपुर

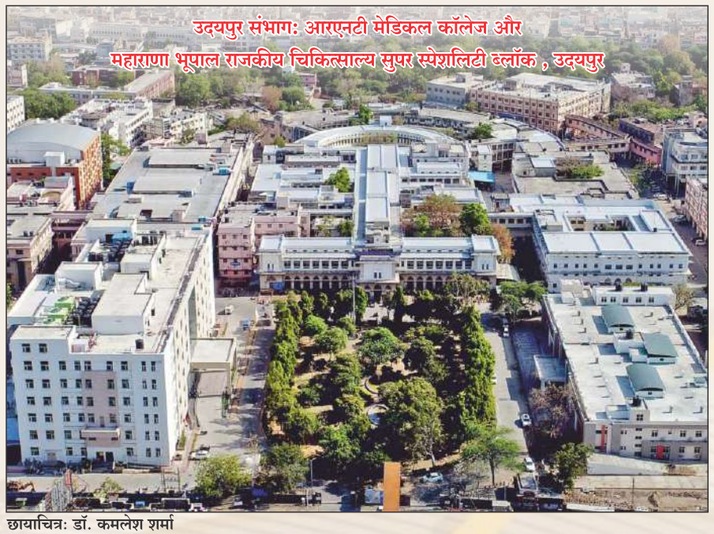

छायाचित्र: डॉ. कमलेश शर्मा

जोधपुर संभाग: बरकतुल्ला खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार

छायाचित्र: आकांक्षा पालावत

फोटो फीचर

बेहतर होता बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पिछले चार साल में राज्य की तस्वीर बदली है। राज्य के सभी सात संभागों में बेहतर निर्माण कार्य हुए हैं। आमजन को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रस्तुत है संभागवार बुनियादी कार्यों की एक बानगी।

बीकानेर संभाग: श्रीगंगानगर में 325 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज

छायाचित्र: अनिल कुमार शाक्य

राज्य सरकार के चार वर्ष

राज्य का हर क्षेत्र और हर वर्ग हुआ लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसम्बर को मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे किए हैं। विपरीत आर्थिक हालातों और कोरोना जैसी महामारी के मध्य उन्होंने ये चार साल पूरे किये और इन सब दुश्वारियों के बीच उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। यह लक्ष्य है, राज्य के गरीब, पिछड़े, वंचित और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। यह लक्ष्य है, राजस्थान को देश के उन्नत राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का। यह लक्ष्य है, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हर राजस्थानी को राजस्थानी होने का गौरव महसूस करवाने का।

पिछले चार वर्षों से राज्य के जो हालात हैं, वह किसी से छिपे नहीं हैं। कोरोना ने सामाजिक, आर्थिक हालातों को चुनौतीपूर्ण बना दिया। श्री अशोक गहलोत सबको साधते और सब बाधाओं से पार पाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राज की इस मजबूती को केवल उनके इन चार सालों के कामकाज से नहीं समझा जा सकता। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की यह दूरदर्शिता उनकी 55 साल की जनसेवा की निःस्वार्थ भावना है।

गोविन्द चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

गांधीवादी सिद्धांतों और सेवा के संस्कारों का बीजारोपण

यह जनसेवा की भावना एक दिन में नहीं बनी है। इसके पीछे एक-दो नहीं, 55 साल की त्याग-तपस्या है। यह तप शुरू होता है, वर्ष 1970 से भी पहले जब उनके पिता ''जादू कमल'' बाबू श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत ने उन्हें जोधपुर में श्री नेमीचंद जैन ''भावुक'' के सुपुर्द किया। श्री भावुक, व्यक्ति नहीं एक विश्वविद्यालय थे। श्री गहलोत अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही गांधीवादी तौर-तरीकों में ढल गए। कुमार साहित्य परिषद् और तरुण शांति सेना से होते हुए वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत आये शरणार्थियों की सेवा में जुटना, समाज सेवा का उनका पहला बड़ा अनुभव था। 20 वर्ष की युवा आयु में जोधपुर से हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश सीमा पर जाकर लोगों की सेवा करना सामान्य काम नहीं था। यहीं से उनमें सेवा के संस्कारों का बीजारोपण हुआ जो बीच के अनेक पड़ाव पार करते हुए

आज के मुकाम तक पहुंचा है। सेवा के उस पहले बीज ने उनमें सादगी, सरलता, सहजता, शालीनता, सौम्यता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, साहस, समन्वय और सबसे बड़ा संकल्प का ऐसा गुण रोपा जिसने उन्हें अपनी और अपनों की चिंता से दूर कर देश और समाज की चिंता से जोड़ दिया। वे स्वधर्म भूल गए, राजधर्म ही उनका कर्त्तव्य हो गया।

आपदाओं और संकटों का सफल प्रबंधन

श्री अशोक गहलोत के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्थान में सदी का भीषणतम अकाल पड़ा। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी चुनौती तब और बढ़ गई जब इसी समय राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। यह पल उनके लिए ''बड़े धर्मसंकट'' का था, लेकिन उन्होंने अकाल का जो शानदार प्रबंधन किया, वह राजस्थान के इतिहास में सदैव एक मिसाल रहेगा। अकाल पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि, राम भले ही रूठा हो-राज उनके साथ है, उन्होंने दीपावली जैसा त्योहार उनके बीच जाकर मनाया। इसके लिए चुना, बारां के शाहबाद को, जहां राज्य के सबसे पिछड़े सहरिया आदिवासी रहते हैं। हर कमजोर के साथ खड़े रहने का यह सिलसिला आज भी चालू है। इसी का उदाहरण है कि 2022 में श्री गहलोत ने दीपावली कोविड-19 में माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों के साथ मनाई। इसी तरह उनके पहले कार्यकाल में, जब कारगिल की लड़ाई हुई और वीर प्रसूता भूमि होने के कारण राजस्थान के लाड़ले शहीद सैनिकों के शव घर आने लगे तो यह उनकी संवेदनशीलता ही थी जिसने उन्हें हर शहीद के घर जाने को प्रेरित किया। राजस्थान ही नहीं देश के सैन्य इतिहास की यह पहली घटना थी। यह कहते हुए कि, ''हम शहीदों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिजनों को तो वैसे ही रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे वे जीवित रहते तो रखते'', उन्होंने शहीदों के परिजनों के लिए एक नए सम्मानजनक पैकेज की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने शहीदों के माता-पिता के लिए अलग से हर महीने की पेंशन राशि बांधी। वर्ष 2001 की 26 जनवरी को, जब गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आया, तब श्री गहलोत के नेतृत्व में यह राजस्थान सरकार ही थी जिसने अपने सारे कामकाज छोड़कर, उसी दिन से गुजरात के भूकंप पीड़ितों की मदद का काम शुरू कर दिया। कई स्थानों पर तो राजस्थान सरकार की मदद, गुजरात से पहले पहुंची जिसका जिक्र गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल ने स्वयं अनेक बार किया। राजस्थान सरकार ने तब भुज में 700 से अधिक आवास बनाकर भूकंप पीड़ितों को दिए। पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थियों की नागरिकता के सवाल को तब पहली मर्तबा उन्होंने भारत सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं को उठा रहे श्री हिन्दू सिंह सोढ़ा और उनके सहयोगियों के साथ कई दौर की बातचीत कर उनके लिए अनेक मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया।

आर्थिक आधार पर आरक्षण की रखी ठोस नींव

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का श्रेय लेने में आज तो कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन बीस वर्ष पहले उसकी ठोस नींव यदि किसी ने रखी तो वह श्री गहलोत ही थे। तब श्री गहलोत ने राज्य मंत्रिमंडल से सवर्ण गरीबों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाकर संविधान संशोधन के आग्रह के साथ, तत्कालीन केन्द्र सरकार को भेजा था। राज्य सरकार ने गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वालों के लिए भोजन से लेकर इलाज तक की अनेक योजनाएं बनाई हैं।

युवाओं और खेलों को प्रोत्साहन

तीसरे कार्यकाल में भले ही शहरी और ग्रामीण ओलम्पिक युवाओं के लिए राज्य सरकार की अविस्मरणीय सौगात बन गये हों, लेकिन युवा और खेल, तब से ही उनके दिल के करीब हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी मंत्रिपरिषद् में खेल और युवा मामलों का उपमंत्री बनाया। उसके बाद से जब, जहां, जैसा मौका मिला श्री गहलोत युवाओं और खेलों को प्रोत्साहित करते रहे। मुझे याद है, उनके पहले मुख्यमंत्रित्व काल में जब राष्ट्रमंडल खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री श्री गहलोत से मिलने उनके सरकारी निवास पर आये, तब श्री गहलोत ने राज्य के खेल-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एक नया आर्थिक पैकेज बनवाया।

व्यापक दृष्टि

मुख्यमंत्री की दृष्टि व्यापक है। वे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। हां, अवसर के अनुसार उनकी प्राथमिकता बदलती रहती है, लेकिन उनकी दृष्टि से कोई विषय ओझल नहीं होता। यही कारण है कि, वे बहुआयामी कार्य करते हैं। संवेदनशीलता के साथ दृढ़ता का परिचय देते हुए ही उन्होंने जयपुर के बरामदे खाली करवाए थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने राज्य में चीफ विजिलेंस कमिश्नर

और चीफ विजिलेंस ऑफिसर व्यवस्था लागू की तो अपने वादे के अनुरूप राज्य की जनता को सूचना का अधिकार भी दिया। ऐसा करने वाला राजस्थान तब देश का दूसरा राज्य था। बाद में तो संप्रग सरकार ने यह अधिकार पूरे देश की जनता को दिया। राजस्थान से बाहर देश-दुनिया में गए राजस्थानियों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए उसी कार्यकाल में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मलेन (आईआरसी) का आगाज किया तो राजस्थान के विकास की दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान के विपुल तेल भंडारों के दृष्टिगत राज्य में रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम संकुल की योजना बनाई। इस कार्यकाल में राज्य की पानी की समस्या को मिटाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 9,600 करोड़ रुपये का बजट दिया।

एक से बढ़कर एक योजनाएं बनीं और काम हुए

आज राजस्थान की जनता चिरंजीवी योजना के जरिये इस बात के प्रति आश्वस्त है कि यदि परिवार में कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए अपना घर-मकान बेचने की नौबत नहीं आएगी। इस योजना का बीजारोपण श्री गहलोत के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ। तब सरकार ने गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए मुफ्त इलाज की योजना शुरू की थी। इसी तरह गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर के गंभीर रोगियों को असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता का प्रावधान किया गया था। तब हुए कामों की सूची बहुत लंबी है। फिर यही सिलसिला वर्ष 2008 से 2013 के दूसरे कार्यकाल में जारी रहा। तब भी एक से बढ़कर एक योजनाएं बनीं और वैसे ही काम हुए। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना की ख्याति तो देश में हीं नहीं विश्व के अनेक देशों तक फैली। एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हर जरूरतमंद परिवार को हर माह 25 किलोग्राम गेहूं की मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना भी राज्य के हर गरीब का सहारा बनी, लेकिन जिस योजना ने राज्य के हर बुजुर्ग के चेहरे पर रौनक और आत्मविश्वास ला दिया वह थी हर वृद्ध को 500 और हर दंपत्ति को 1,000 से 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने वाली योजना। अपनी बहन-बेटियों के हाथ में तीज-त्योहार और राखी-दूज पर अपनी जेब से नेग रखने के विश्वास ने उन्हें अलग ही खुशी दी।

रिफाइनरी और पेट्रो-कॉम्प्लेक्स के काम के साथ जयपुर में मेट्रो रेल और घाट की गूणी का काम भी इसी समय हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना दूसरे कार्यकाल में आरम्भ हुई। मुख्यमंत्री के रूप में श्री गहलोत के 17 दिसम्बर, 2018 को शुरू हुए तीसरे कार्यकाल का चौथा वर्ष अब पूरा हुआ है। इन चार वर्षों में भी जो काम हुए वे बेमिसाल हैं, बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना महामारी के, जिसने सारी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। चार में से ढाई वर्ष तो उसी में निकल गए लेकिन इस अवधि में भी, राजस्थान में हुए काम इतिहास में दर्ज हो गए हैं। भगवान न करे कि देश के किसी भी हिस्से में, कभी अकाल पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कहीं ऐसा हुआ तो जैसे वर्ष 2002 का राजस्थान का अकाल प्रबंधन वहां रोशनी दिखाने का काम करेगा, वैसे ही भविष्य में, जब भी कोरोना जैसी किसी महामारी से लड़ने की नौबत आएगी, राजस्थान का कोरोना प्रबंधन जरूर याद किया जाएगा। इन चार वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य में इतने काम किये हैं कि एक-एक काम अथवा योजना का उल्लेख करना नामुमकिन है, लेकिन कोरोना प्रबंधन के साथ यदि अन्य कुछ महत्वपूर्ण का जिक्र करें तो उनमें सभी की जीवन रक्षा के लिए चिरंजीवी योजना, राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के इलाज के लिये आरजीएचएस, इंदिरा रसोई, ईआरसीपी, युवाओं के लिए नौकरियों के साथ रोजगार के नए-नए अवसर जुटाना, ग्रामीण और शहरी रोजगार योजनाएं, शहरी और ग्रामीण ओलम्पिक खेल तथा सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति को न केवल नियंत्रण में रखना अपितु नित नई योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना आदि प्रमुख हैं।

ओपीएस की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

तीसरे कार्यकाल की एक और घोषणा जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है, वह है, सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करना। श्री गहलोत की इस घोषणा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त किया ही है बल्कि इससे देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों में भी अपने राज्य में इस योजना के लागू होने की उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब इसे लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाली सुनिश्चित मासिक आय और उसमें एक निश्चित अंतराल पर होने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी राज्य कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार के सम्मानजनक जीवनयापन के प्रति आश्वस्त करती है।

बेहतर कोरोना प्रबंधन

मार्च, 2020 के शुरुआती दिनों में ही जिस वक्त देश में कोरोना की चर्चाएं शुरू हुईं और राजस्थान में इटली के पर्यटक के रूप में पहला कोरोना केस सामने आया, राजस्थान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दीं। तब राजस्थान की तो बात छोड़िये, देश के किसी डॉक्टर को पता नहीं था कि, कोरोना क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी गंभीरता क्या है? इसकी जांच कैसे होगी, कहां होगी? देश में तब तक केवल पुणे में ही एक वायरोलॉजी लैब थी। वहीं नमूने भेजे जा रहे थे और एक सप्ताह तक में जांच रिपोर्ट आ रही थी। कुछ ही दिनों में रोग की भयावहता विश्व के सामने आ गई। रोग क्या था साक्षात् प्रलय सामने थी। सबको कोरोना और मौत दिख रही थी। चीन और अमेरिका जैसे महाबली देशों में सड़कों और अस्पतालों में लाशों के ढेर लगने लगे थे। आरंभिक दौर में केरल कोरोना प्रबंधन में आगे था लेकिन बाद में हर कदम पर राजस्थान न केवल आगे रहा, अपितु उसने देश को कोरोना प्रबंधन का मॉडल भी दिया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और उनके सहयोगियों ने लगातार ढाई वर्ष तक दिन-रात जो मेहनत की उसी का परिणाम है कि आनुपातिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में यहां नुकसान बहुत कम हुआ। मुख्यमंत्री का सरकारी निवास तो जैसे कोरोना का स्टेट कंट्रोल रूम ही बन गया। राजस्थान ने कोरोना की पहली लहर में, देश में सबसे पहले लॉकडाउन के साथ बचाव कार्यों की जो शुरुआत की, वह दूसरी लहर में ऑक्सीजन के साथ मास्क, टेमीफ्लू और रेमडेसिविर इंजेक्शन की अन्य राज्यों की तुलना में सहज उपलब्धता के रूप में जारी रही। कई राज्यों ने तो अपने यहां अन्य राज्यों के मरीजों को भर्ती करने तक पर अघोषित रोक लगा दी थी, वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इलाज के दरवाजे सबके लिए खुले रखे। इस काम में राज्य के डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के साथ समर्थ प्रवासी राजस्थानियों और स्वयंसेवी संगठनों ने पूरा सहयोग दिया। स्वयं दो बार कोरोना पॉजिटिव होने और उसी के दुष्प्रभाव स्वरूप एंजियोप्लास्टी तक पहुंचने के बावजूद श्री गहलोत ने इस अवधि में 600 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके राज्य के तमाम राजनीतिक दलों, धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों, सांसदों-विधायकों और पंच-सरपंचों को कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में साथ जोड़े रखा। पूरे तंत्र के साथ वे स्वयं देश-दुनिया के हर उस व्यक्ति से बात कर रहे थे जो इस संघर्ष में मददगार हो सकता था। कोरोना के दूसरे और भयावह दौर में तो उन्होंने अपने उन संबंधों की पूरी कमाई राज्य की जनता के लिए भुना डाली जो 50 वर्षों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में बनाये थे।

आमतौर पर चुपचाप अपना काम करते रहने के लिए मशहूर श्री गहलोत कोरोना के इस खतरनाक दौर में देश के समस्त राज्यों की, उनके मुख्यमंत्रियों की मजबूत आवाज भी बने। अपने लम्बे राजनीतिक जीवन और मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकालों के अनुभवों के दम पर उन्होंने केंद्र के समक्ष राज्यों का पक्ष मजबूती से रखा। न केवल रखा अपितु उनकी तकलीफों का समाधान भी कराया। इनमें जीवनरक्षक दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ टीकाकरण से जुड़े मुद्दे, प्रवासी नागरिकों और मजदूरों के आवागमन, राज्यों की अर्थव्यवस्था और उनकी आर्थिक समस्याएं प्रमुख थीं। प्रधानमंत्री ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अनेक बार उनकी सार्वजनिक सराहना करते हुए राज्यों को उनके बताये रास्ते पर चलने के निर्देश दिए। राजस्थान में श्री गहलोत ने पहले ही दिन से संक्रमण को फैलने से रोकने, बीमारों को बचाने, भूखों को भोजन देने और राज्य में हर वर्ग के नागरिकों की क्रय-शक्ति को बनाये रखने पर जोर रखा। यह रणनीति कारगर रही। आज अगर राजस्थान यह कहने की स्थिति में है कि, विश्वव्यापी मंदी और कोरोना के विपरीत हालातों के बावजूद राज्य की जीडीपी का आकार पिछले तीन वर्षों में, तीन लाख करोड़ रुपये बढ़ा है तो वह मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में उनके आर्थिक सलाहकारों की जी-तोड़ मेहनत का ही परिणाम है। इसी मेहनत क दम पर श्री गहलोत आज राज्य की जनता और उसके जन प्रतिनिधियों से बुलंद आवाज में कहते हैं कि, ''आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देने से नहीं थकूंगा।''

कोरोना के प्रबंधन में राज्य सरकार ने जो संवेदनशील फैसले किये, उन सबका उल्लेख यहां असंभव है, फिर भी कुछ प्रमुख फैसलों

का जिक्र किये बिना बात अधूरी रह जाएगी। कोरोना की रोकथाम का भीलवाड़ा मॉडल तो दुनियाभर में मशहूर हुआ ही, कुछ ही महीनों में लाखों जांच रोज करने की क्षमता हासिल करना, हर जिले और बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खड़े कर देना, विस्तारित कोरोना वॉरियर्स दायरे के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद, लाखों लोगों को एक साथ क्वारेंटाइन रख सकने की व्यवस्था करना, बच्चों की स्कूल फीस और पानी-बिजली के बिल स्थगित करना, लाखों दिहाड़ी मजदूरों के लिए मासिक सहायता देना जैसे कई ऐसे काम थे जिन्होंने राज्य की जनता में, राज के अपने साथ होने का भरोसा सुदृढ़ किया।

कोरोना के लम्बे दौर में एक-दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके अपने-अपने राज्यों में पहुंचाने के काम में भी श्री गहलोत मजबूत कड़ी बने। कोरोना का जोर कम होने के बाद भी वे चुप नहीं बैठे। पोस्ट कोरोना डिजीज के लिए अलग से इंतजाम किये। श्री गहलोत की अगुवाई में राज्य सरकार की यह सदाशयता और संवेदनशीलता केवल कोरोना तक ही सीमित नहीं है। राज्य के हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं से मुक्त करने के लिए उन्होंने ''चिरंजीवी'' योजना लागू की है। पूरे देश में अपनी तरह की इस अकेली योजना में पहले हर परिवार का पांच लाख रुपये का सालाना बीमा था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके बाद भी यदि किसी रोगी को आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार की अनुमति से अस्पताल उस पर जितना लगे खर्च कर सकता है। इससे भी एक कदम आगे राज्य के तमाम जिला कलेक्टरों को उनके यह निर्देश हैं कि, ''चिरंजीवी कार्ड नहीं बना होने पर भी किसी व्यक्ति का इलाज रुकना नहीं चाहिए। इलाज शुरू करवाइये और फिर उसका कार्ड बनवा दीजिये।''

ईआरसीपी : राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना

राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली एक और योजना जिसे इन चार वर्षों में गति मिली वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) है। जिस तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) ने पश्चिम राजस्थान के सात जिलों- बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को आए दिन के अकाल-सूखे से मुक्ति दिलाई है, उसी तरह ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों- धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर और बारां को सिंचाई और पानी की सुविधा देने वाली है। इसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने को हाल में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें सिंचाई सम्बन्धित अन्य विभागों की अनुपयोगी भूमि बेचकर उसकी धनराशि से इस नहर के निर्माण को गति देना शामिल है।

देश में पहली बार ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन

राज्य के युवाओं में ही नहीं हर उम्र के स्त्री-पुरुषों में खेलों के प्रति

जुनून पैदा करने वाले ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक खेलों का देश में पहला आयोजन भी इन चार वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। यह आयोजन राज्य के हर गांव में हुए और दलों के बंधन से ऊपर उठकर, सभी ने इनमें हिस्सा लिया।

शहरों में भी रोजगार की गारंटी

कोरोना के दौर में कम हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने हाल में महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से ऐसी योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने राज्य में इसकी शुरुआत कर शहरों में भी रोजगार के अवसर बढ़ा अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है।

हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर व्यक्ति पर ध्यान

मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाली 951 इंदिरा रसोइयां भी अपनी लोकप्रियता से देश में राजस्थान की पहचान बनती जा रही हैं। रिफाइनरी और मेट्रो के विस्तार जैसी पुरानी योजनाओं का काम तेजी से जारी रहते और उनकी दिन-ब-दिन की प्रगति का जायजा मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर होने के बीच अंत में जिक्र सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यानी ''इन्वेस्टमेंट समिट'' का भी बहुत जरूरी है। पहले कार्यकाल के ''इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव'' ने विश्वभर में फैले राजस्थानी समुदाय के बीच जिस औद्योगिक भाईचारे की नींव रखी, इस समिट ने उसके अंतिम लक्ष्य ''विनियोजन'' को मूर्त रूप दिया। इसमें देश के तमाम बड़े औद्योगिक घरानों ने हिस्सा लिया। 7-8 अक्टूबर को जयपुर में समिट शुरू होने से पहले ही इसके खाते 11 लाख करोड़ रुपये के करीब 4,200 एमओयू हो चुके थे। सब जमीन पर उतरे तो 10 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि, इन चार वर्षों में हुए कामों का ब्योरा देना किसी ''मैराथन स्पर्धा'' से कम नहीं है। राज्य के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर व्यक्ति को राज्य सरकार ने कुछ न कुछ दिया है। लिखने में तो राई (कुछ ही काम) ही आई है, पहाड़ (बहुत सारे काम) तो छूट गए हैं।

प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी बनी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

27 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के उपचार पर 3195 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च

राम सिंह
जनसम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा

चिरंजीवी ने फिर भरे अन्नू की जिंदगी में शब्दों के रंग

दौसा के नांगलबैरसी की 14 वर्षीय अन्नू की 9 साल पहले दिमागी बुखार की वजह से हुए इन्फेंक्शन के कारण सुनने और बोलने की क्षमता चली गयी। बेटी को इस हाल में देखकर उसके परिजन काफी परेशान रहते थे और उसके पिता लगातार अपनी बेटी के इलाज के लिए प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अन्नू का ऑपरेशन कर इसके ब्रेन में ऑडिट्री ब्रेनस्टेम इम्प्लांट (एबीआई) कर उसकी जिंदगी में फिर से शब्दों के रंग भर दिए। ऑपरेशन के 2 माह बाद जैसे ही डॉक्टरों ने इम्प्लांट का स्वीच ऑन किया और ब्रेन में लगी मशीन से आवाज गयी तो अन्नू चहक उठी और खिलखिलाने लगी।

पूर्णत नि:शुल्क हुआ लीवर प्रत्यारोपण

लीवर पूरी तरह खराब होने की जांच रिपोर्ट मिलने पर मुकेश जीने की आस पूरी तरह खो चुका था, क्योंकि लीवर प्रत्यारोपण में खर्च होने वाली राशि उसके लिए वहनीय नहीं थी। लेकिन मुकेश के जीवन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक देवदूत की तरह आयी। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने मुकेश की पत्नी बबीता से लीवर का एक हिस्सा डोनेट करवाकर मुकेश का लीवर प्रत्यारोपित किया। उपचार के तीन सप्ताह बाद मुकेश और उसकी पत्नी बबीता को पूर्णत: स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया और देखते ही देखते वह सामान्य जिंदगी जीने लगा।

खुशियाबाई के जीवन में लौटी खुशियां

श्रीगंगानगर जिले की पीलीबंगा तहसील की अमरपुरा ढाणी की 81 वर्षीय खुशियाबाई के जीवन में उस वक्त अंधेरा छा गया जब उन्हें हृदय की बीमारी के बारे में पता चला। तीन पुत्रों और दो पुत्रियों की मां जिसका परिवार खेतिहर मजदूर है, उसके परिवार को यह डर सताने लगा कि ऑपरेशन के लिए इतने सारे रुपये कहां से आएंगे। लेकिन जैसे ही यह परिवार अस्पताल में पहुंचा तो इन्हें यह जानकर राहत मिली कि खुशियाबाई का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पूरी तरह नि:शुल्क किया जाएगा। टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित डॉ. एस.एस.टांटिया मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर में खुशियाबाई

की नि:शुल्क बाईपास सर्जरी की गयी और वह पूरी तरह स्वस्थ है। ऐसे ही लाखों मामलों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना से प्रदेश के परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से राहत मिली है। योजना से सम्बद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

योजना का परिचय

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की अनुपालना में प्रदेश में 1 मई 2021 से प्रारम्भ की गयी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था जिसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का चिकित्सकीय खर्च योजना में कवर है।

10 लाख रुपये से ज्यादा का उपचार भी सरकार वहन कर रही है

राज्य सरकार द्वारा योजना का दायरा व्यापक करते हुए कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट (किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट), घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण को भी योजना में शामिल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल 10 लाख रुपये की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं गिना जाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये से भी अधिक राशि की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट मोड पर अतिरिक्त राशि वहन कर योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि आम आदमी को इन बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1,633 पैकेजेज और प्रोसीजर उपलब्ध हैं। योजना से अब तक 899 निजी और 834 सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर फोन किया जा सकता है।

पंजीकृत परिवारों का 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।

जीवनरक्षा के लिए मुख्यमंत्री की एक और बड़ी पहल

सरकार द्वारा मानवीय दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवनरक्षा योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चाहे वह किसी राज्य का हो, बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध निजी एवं राजकीय अस्पतालों में दुर्घटना के 72 घंटों तक नि:शुल्क आपातकालीन उपचार दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्घटना के प्रथम 72 घंटे के गोल्डन समय में घायल व्यक्ति की जान बचाना है।

27 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के इलाज के लिए 3,195 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश में 1 मई 2021 से अब तक 27 लाख 60 हजार 07 मरीजों को 3,195.73 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च कर नि:शुल्क इलाज दिया जा चुका है।

योजना के तहत 167 मरीजों के गुर्दा प्रत्यारोपण पर 4 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि व्यय कर

उपचार किया गया। इसी प्रकार 19 मरीजों के बोनमेरो ट्रांसप्लांट पर 44 लाख रुपये, 49 मरीजों के कॉकलियर इम्प्लांट पर 1 करोड़ 60 लाख 73 हजार रुपये, 4 मरीजों के हृदय प्रत्यारोपण पर 13 लाख रुपये, 6 मरीजों के लीवर प्रत्यारोपण पर 45 लाख 50 हजार रुपये, 4 लाख 104 मरीजों के डायलिसिस पर 68 करोड़ 34 लाख 63 हजार रुपये एवं 8,142 मरीजों के सीटी स्केन पर 11 करोड़ 39 लाख 88 हजार रुपये की राशि व्यय कर मरीजों को लाभान्वित किया गया।

चिरंजीवी की बदौलत प्रदेश के 88 प्रतिशत से ज्यादा परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा, राजस्थान देश में प्रथम

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ही परिणाम है कि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88 प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं और राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। जबकि नेशनल फैमेली हैल्थ सर्वे-4 पर गौर करें तो राजस्थान के मात्र 19 प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में थे और राजस्थान देश में 23वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्तमान में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 1 करोड़ 07 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, 12 लाख 91 हजार लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवार, 3 लाख 41 हजार से अधिक कोविड अनुगृह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, समस्त विभागों/ बोर्ड/ निगम/ सरकारी कंपनी में कार्यरत 52 हजार से अधिक संविदाकर्मियों के परिवार, सामाजिक और आर्थिक जनगणना के पात्र 8,059 परिवारों सहित कुल 1 करोड़ 24 लाख 72 हजार 592 परिवारों को नि:शुल्क तौर पर योजना का लाभ मिल रहा है अर्थात इनकी प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। शेष 10 लाख 84 हजार 642 परिवार 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से योजना का लाभ ले रहे हैं। इनके प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका चिरंजीवी में पंजीकरण नहीं है तो भी जिला कलक्टर की अनुशंसा पर उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा हैं एवं उसका चिरंजीवी के तहत पंजीकरण करवाना प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है।

मॉडल स्टेट राजस्थान

आम आदमी के स्वास्थ्य की देखभाल और जिम्मेदारी वहन करने के मामले में राजस्थान ने देश और विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की बदौलत राजस्थान का यूनिवर्सल हैल्थ केयर मॉडल पूरे विश्व में अग्रणी हैल्थ केयर मॉडल बन चुका है और राजस्थान ने एक मॉडल स्टेट के तौर अपनी पहचान स्थापित की है।

इंदिरा रसोई योजना

कोई भी भूखा न सोए के संकल्प की धरातल पर परिणति

सुधाकर सोनी
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा मनुष्य है। हमारे शास्त्रों में भी सेवा को परम धर्म मानते हुए ''सेवा परमो धर्म:'' कहा गया है। यही नहीं, लोकतंत्र में भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का ध्येय लोक कल्याण ही होता है। जब लोग अपना जन प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनकी यही अपेक्षा होती है कि शासन की बागडोर वे जिन हाथों में सौंप रहे हैं वे हाथ जन सेवार्थ हमेशा तत्पर रहें।

सेवा के इस जज्बे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ''कोई भी भूखा न सोए'' के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई।

यह वह कठिन समय था जब कोरोना महामारी देशभर में पैर पसार चुकी थी। लॉकडाउन के कारण काम-धंधे ठप हो गए थे, जिससे लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई। महज आठ रुपये में मिलने वाली भोजन की थाली ने गरीब और वंचित तबके के लोगों की खाने की चिंता को दूर कर दिया। इस दौरान भामाशाहों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इंदिरा रसोई में निराश्रय, गरीब, अनाथ, मजदूर और फुटपाथ पर छोटा-मोटा व्यापार करने वाले लोगों को मुफ्त में भी भोजन मुहैया कराया गया। इंदिरा रसोई के कारण ही बहुत से लोग वह मुश्किल समय काट पाए। कोरोना का चरम काल बीत जाने के बाद भी इंदिरा रसोई सतत् रूप से वंचित तबके के लोगों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध करा रही है।

358 रसोइयों के साथ शुरू हुआ जन सेवा का यह कारवां आज 951 रसोइयों तक जा पहुंचा है और जल्द ही यह तादाद 1,000 हो जायेगी। इसके बाद 13 करोड़ 80 लाख भोजन थालियाँ हर साल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी।

सरकार के ''सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म'' के ध्येय वाक्य को साकार करने में सेवाभावी लोग और संस्थायें भी साथ दे रहे हैं और 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं द्वारा न लाभ न हानि के आधार पर इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है।

दूर-दराज से अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों, अस्पताल में भर्ती मरीजों की तीमारदारी में जुटे उनके परिजनों और मजदूरी के लिए आने वाले मेहनतकश लोगों के लिए यह योजना एक बड़ा सम्बल बन रही है। महंगाई के इस दौर में जहां जीने के लिए खाने पर एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, वहीं इस योजना के माध्यम से जेब पर ज्यादा भार डाले बिना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना परोसा जा रहा है।

यहां भोजन करते समय किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई में सब लोगों के लिए सम्मानपूर्वक बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है। भोजन के मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। यहां सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक दिन का भोजन और शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक रात का खाना मिलता है।

सरकार द्वारा शुरुआत में हर थाली पर 12 रुपये अनुदान दिया जा रहा था जिसे 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खाने की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता न हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक रसोई की रियल-टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करती है। इसी तरह एस.एम.एस. गेटवे सुविधा के द्वारा योजना के लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाता है ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके। समय-समय पर राज्य सरकार की राज्य/जिला स्तरीय समिति भी भोजन की जाँच करती है।

राज्य में हर दिन लाखों की तादाद में लोग इंदिरा रसोई में खाना खा रहे हैं। इतनी बड़ी योजना के संचालन के लिए सरकार के प्रयास के साथ ही जन भागीदारी भी आवश्यक है, इसलिए राज्य सरकार भामाशाहों और दानदाताओं का भी सहयोग ले रही है।

कोई व्यक्ति, संस्था या कॉर्पोरेट फर्म इंदिरा रसोई योजना के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहे तो मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में दान देकर कर सकते हैं। आमजन भी अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य समारोह के अवसर पर इंदिरा रसोई में दोपहर या रात्रि के भोजन का खर्च वहन कर सकते हैं।

इंदिरा रसोई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट indirarasoi.rajasthan.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1800-1806-127 हैं जिन पर भोजन की गुणवत्ता या योजना से जुड़े दूसरे पहलुओं से सम्बन्धित सुझाव या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली महत्त्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना ''कोई भी भूखा न सोए'' के संकल्प को पूरा करने के साथ ही समाज के वंचित और कमजोर तबके के लिए महंगाई के इस मुश्किल दौर में जीवन रेखा साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

किसानों की सच्ची मित्र राजस्थान सरकार, लाखों किसानों के बिजली बिल हुए शून्य

अन्नदाता को राहत की सोच मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के फैसलों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना खास तौर पर उन लघु एवं सीमांत किसानों का बड़ा सहारा साबित हो रही है जिन्हें आर्थिक सम्बल की दरकार है। प्रदेश का कोई भी पात्र किसान आसान प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकता है।

मरुधरा में खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। किसान खुशहाल तो राजस्थान खुशहाल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार विगत वर्षों में इसी सोच के साथ आगे बढ़ी है। किसानों को केंद्र में रखकर राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं जिनसे अन्नदाता को आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल मिला है और उनकी समृद्धि की राह प्रशस्त हुई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राज्य सरकार द्वारा इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों का आर्थिक सहारा साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई, 2021 को इस योजना का शुभारम्भ किया। वैश्विक महामारी कोविड के दौरान कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान किया। इस चुनौतीपूर्ण दौर में किसानों की समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की।

दिनेश कुमार शर्मा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों पर बिजली के बोझ को कम करना है। योजना की मदद से अनुदान की राशि प्रदान कर किसानों तक भरपूर बिजली पहुंचाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत किसानों को बिजली बिल में प्रतिमाह अधिकतम 1,000 रुपये एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के साथ ही मीटर चालू अथवा बंद होने की स्थितियों में योजना का लाभ देय है। प्रदेश के सभी किसान उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मई 2021 के विद्युत बिल से ही मिलना शुरू हो चुका है। बिजली बिल की राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम होने की स्थिति में शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में कर दिया जाता है।

प्रदेश के लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना खासतौर पर उन लघु एवं सीमांत किसानों का बड़ा सहारा साबित हो रही है जिन्हें आर्थिक सम्बल की दरकार है। प्रदेश का कोई भी पात्र किसान आसान प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदन करने के लिए केवल किसान ही पात्र हैं और आवेदक का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का आधार नम्बर बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही आयकरदाता कृषि उपभोक्ता योजना के तहत अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं हैं।

अक्टूबर 2022 तक योजना के तहत 1,510.05 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। प्रदेश के 12.79 लाख किसान इस अवधि तक योजना से लाभान्वित हुए हैं। खास बात यह है कि योजना के अस्तित्व में आने से प्रदेश के करीब 7.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदेश में 1,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना खासतौर पर उन लघु एवं सीमांत किसानों का बड़ा सहारा साबित हो रही है जिन्हें आर्थिक सम्बल की दरकार है। प्रदेश का कोई भी पात्र किसान आसान प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदन करने के लिए केवल किसान ही पात्र हैं और आवेदक का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का आधार नम्बर बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही आयकरदाता कृषि उपभोक्ता योजना के तहत अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं हैं। मुख्यमंत्री

श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिले। इसी सोच के मद्देनजर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

यह पहला अवसर नहीं है जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने किसानों को सम्बल दिया हो, बल्कि अन्नदाता को राहत की सोच राज्य सरकार के फैसलों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती रही है। किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में श्री गहलोत के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होते ही सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की गई। इसी तरह किसानों की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने का निर्णय लिया गया। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो और बिजली खरीद में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नई विद्युत वितरण कंपनी बनाने का निर्णय किया गया। वहीं 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शनों पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया। साथ ही बड़े स्तर पर किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए।

विगत 4 वर्षों में इनके अलावा भी राज्य सरकार ने कृषि और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं जिनसे किसानों की तकदीर बदल रही है। करीब डेढ़ वर्ष पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इन प्रयासों की दिशा में ही एक नया आयाम है। यह योजना किसानों को आर्थिक सम्बल देकर उनकी सच्ची मित्र साबित हो रही है।

राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना

वर्तमान के साथ भविष्य भी हो रहा सुरक्षित

राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए निरन्तर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का हर वर्ग उच्च और गुणवतापूर्ण जीवन जी सके। सरकार के इस प्रयास को धरातल पर उतारने में राज्य कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए उनके महत्व को नजर अंदाज नही किया जा सकता। हर कार्मिक के लिए पेंशन वो अनमोल सहारा है जो उसकी वृद्धावस्था को आर्थिक तौर पर सुरक्षित करता है। भविष्य की चिंता न होने पर कार्मिक की कार्य गुणवत्ता में भी निखार आता है। वर्तमान संवेदनशील सरकार ने इस पहलू को गंभीरता से समझा और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बंद हो चुकी पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से सभी राज्य कर्मचारियों के लिए फिर से बहाल कर दिया। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारी अब अपने बुढ़ापे में जीवनयापन को लेकर चिंता मुक्त हो गए हैं।

राजपाल
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

क्या है पुरानी पेंशन योजना

प्रदेश के सभी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना के दायरे में हैं। सभी कर्मचारियों को अब निश्चिंत और सुरक्षित पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना के फायदे इस प्रकार हैं :

- पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान राज्य सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है।
- इस पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती।
- पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) की सुविधा है।
- इस पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम बेसिक वेतन का अधिकतम 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है।

- इस पेंशन योजना में महंगाई भत्ता वृद्धि, पारिवारिक पेंशन जैसे प्रावधान हैं।

पुरानी पेंशन योजना से पहले

1 अप्रैल, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पहले एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) लागू थी जिसमें कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत (बेसिक + महंगाई भत्ता) कटौती कर पीएफआरडीए के अधीन निवेशित किया जाता था। यह बाजार आधारित जोखिमों पर निर्भर था। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी जैसे प्रावधान भी नहीं थे।

पेंशन योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022- 23 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को भी 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अपने वर्तमान के साथ-साथ भविष्य भी सुरक्षित नजर आने लगा।

पेंशन योजना धरातल पर लागू

राजस्थान विद्युत विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी श्रीमती सुनीता गोस्वामी बताती हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत वर्ष 2008 में की थी और 14 वर्ष तक विभाग में अपनी सेवाएं देकर हाल में मई, 2022 में वे सेवानिवृत्त हईं। उनका कहना है कि पेंशन बंद होने से वे हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहती थीं कि वृद्धावस्था में उन्हें किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फायदे में किए गए इस फैसले से वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन मिलने से अब उन्हें एक सहारा मिल गया है और उन्हें अब किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। साथ ही भविष्य के प्रति जो अनजाना डर था वह भी खत्म हो गया है।

आबकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके झुन्झुनूं निवासी श्री शेर सिंह का भी कहना है कि वर्ष 2012 में उन्होंने आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर अपनी राजकीय सेवा शुरू की थी और 31 अगस्त 2022 को वे 10 वर्ष की सेवाएं देकर सेवानिवृत हुए। उन्होंने बताया कि वे और उनका परिवार राज्य सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं, क्योंकि पेंशन मिलने से अब उनका जीवन सरल हो जाएगा। निजी और पारिवारिक जरूरतों के लिए उन्हें अब आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्री शेर सिंह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस निर्णय से अब हमारा बुढ़ापा आसानी से व्यतीत हो जाएगा।

हनुमानगढ़ जिले में पटवारी के पद पर सेवाएं दे रहे कृष्ण इशराम ने भी राज्य सरकार के इस निर्णय को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का फैसला राज्य के कर्मचारियों के हित में एक अभूतपूर्व फैसला है। राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का भविष्य तो सुरक्षित हुआ ही है बल्कि बुढ़ापे में भी उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के दूरदर्शिता और सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की नई ऊंचाइयां छूने के संकल्प में पुरानी पेंशन योजना मील का पत्थर साबित होगी। पुरानी पेंशन योजना समस्त राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए एक वरदान है ।

समाज के हर तबके का सहारा बनी पेंशन योजनाएं

पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त हुए लोग

संतोष कुमावत
जनसंपर्क अधिकारी

लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी जाने वाली हर सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों को उच्च जीवन स्तर मुहैया कराएं और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक रूप से सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार वृद्धजनों,विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजनों एवं लघु व सीमान्त वृद्धजन कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है–

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहे हो, एवं जिनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल. अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/ खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रु. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2018 से नवंबर 2022 तक)– योजना अन्तर्गत 19,29,903.49 लाख रूपये व्यय कर 54 लाख 52 हजार 286 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 48000 रुपये से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./ अन्त्योदय/ आस्था कार्ड धारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/ खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल

सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर– 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रतिमाह 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2018 से नवंबर 2022 तक)– योजना के अन्तर्गत 7,94,585.01 लाख रुपये व्यय कर 17 लाख 63 हजार 196 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना–

विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प-दृष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से

ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) 60,000 रुपये तक हो पेंशन का पात्र होगा।

बी.पी.एल.,अन्त्योदय,आस्था कार्ड धारी परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर– 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है, और किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2018 से नवंबर 2022 तक)– योजना अन्तर्गत 2,11,020.52 लाख रुपये व्यय कर 6 लाख 17 हजार 414 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना–

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम-2019 दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो। राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो।

पेंशन दर– लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 750 एवं 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2018 से नवंबर 2022 तक)– योजना अन्तर्गत 86442.05 लाख रूपये व्यय कर 2 लाख 53 हजार 855 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ योजनाओं जैसे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना आदि योजनाओं में भी राज्य सरकार कुछ अंशदान वहन करती है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

शहरी रोजगार का राजस्थान मॉडल

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन रोकने और ग्रामीण जनजीवन को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आज विश्व भर में अध्ययन का विषय बनी हुई है। कोरोना काल में जहां एक तरफ सभी आर्थिक गतिविधियां ठप थी, उस दौर में यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजी-रोटी का मुख्य आधार सिद्ध हुई। शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं होने से स्ट्रीट वेंडर, ढाबा-रेस्टोरेंट संचालको और कर्मकारों आदि के लिए रोजी-रोटी का महासंकट खड़ा हो गया था।

अपनी संवेदनशीलता के लिए देश भर में पहचान बना चुकी राजस्थान सरकार ने ऐसे विकट काल में शहरी गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। चंद माह में ही यह योजना रोजगार देने के साथ-साथ शहरों की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होने लगी। आमजन भी इस योजना में पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ जुड़ कर श्रमेव जयते के संकल्प को जीवंत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की। इसमें महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। इसमें प्रदेश भर की स्थानीय निकायों में कैम्प लगाकर शहरों में निवासरत जरूरतमंद परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए। 7 जुलाई, 2022 को प्रदेश की सभी निकायों में एक साथ इस योजना का शुभारम्भ हुआ। चार माह के अल्पसमय में ही यह योजना देश भर में नजीर बन कर उभरी।

विनय कुमार सोमपुरा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार की संवेदनशील योजनाएं देश भर में मॉडल सिद्ध हो रही हैं। स्वास्थ्य योजनाओं के बाद अब शहरी क्षेत्रों में अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के रोजगार प्रबंधन की दृष्टि से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी भारत के अन्य राज्यों के लिए मॉडल साबित हो रही है।

बदलने लगी सूरत

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जहां एक तरह शहरों के जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं यह योजना शहरी विकास में भी सम्बल दे रही है। सीमित आय के चलते जनहित के काम नहीं करा पाने वाली छोटी निकायों को इस योजना के रूप में बड़ा सहयोग मिल रहा है। स्थानीय निकाय इस योजना के माध्यम से शहरी जल स्त्रोतों के सरंक्षण-संवर्धन के साथ ही स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के कामों को भी हाथों हाथ ले रहे हैं। जलस्रोतों की साफ सफाई, डिसिल्टिंग हो रही है। उद्यानों का रखरखाव करते हुए उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा। इससे शहरी सौंदर्य को भी चार चांद लग रहे हैं।

यह है योजना

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। जिसमें मुख्यत: श्रम आधारित कार्यो को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें स्थाई परिसम्पतियों का सृजन द्वितीयक (Secondary) रहेगा। स्थाई प्रकृति के कार्यो में ही परिसम्पत्तियों का सृजन हो सकेगा।

यह है पात्रता

राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य जो इस योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं, वे इसके पात्र हैं। इस योजना अन्तर्गत परिवार के पंजीयन हेतु जन- आधार कार्ड अनिवार्य है एवं जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना गया है। जिस परिवार के पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है वे परिवार इस योजना में पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड हेतु ई-मित्र केन्द्र या नगर पालिका सेवा केन्द्र पर आवेदन करते हुये आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल, अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

ऐसे करें आवेदन

कोई भी पात्र व्यक्ति सम्बन्धित नगर निकाय में जॉब कार्ड बनाने के लिये प्रपत्र -1 में आवेदन कर सकता है। आवेदन के आधार पर सम्बन्धित परिवार का इस योजना में पंजीकरण किया जाकर जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। आवेदन विभाग/नगर निकाय के IRGY और urban MIS Portal पर ऑनलाइन कर सकेंगे। आवेदन सम्बन्धित नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका के कार्यालय/जोन कार्यालय में अथवा ई-मित्र सेंटर के माध्यम से भी किये जा सकते हैं।

पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल व अकुशल) को सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना में अनुमत कार्य

- पर्यावरण संरक्षण कार्य
- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य
- उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य
- फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य
- नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य
- श्मशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य
- उद्यानिकी (Horticulture) से सम्बन्धी कार्य
- वानिकी (Forestry) से सम्बन्धी कार्य

जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य

तालाब, गिनाणी, टांके, चावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल

खेलो राजस्थान बढ़ो राजस्थान

भारत में प्राचीन समय से ही कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर देश के बच्चों और युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए बहुत सी खेल गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाता है। राजस्थान में प्राचीनकाल से ही खेलकूद की समृद्ध परम्परा रही है। राजस्थान की वर्तमान खेल नीति पूरे देश में श्रेष्ठतम है। खेलकूद के क्षेत्र में प्रदेश के प्रमुख नवाचार इस प्रकार हैं :

देश में पहली बार – 30 लाख पार

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक – गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 19 अक्टूबर, 2022 तक छह: खेलों यथा कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट एवं हॉकी (बालक/बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), शूटिंगबॉल (बालक वर्ग) में सभी आयु वर्ग को शामिल किया गया।

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खेलों का वातावरण तैयार कर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाना है। खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 1 सितम्बर, 2022 तक किया गया, जिसमें 2.68 लाख से अधिक टीमों ने भाग लिया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 12 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2022 तक राज्य की पंचायत समितियों में किया गया, जिसमें लगभग 47 हजार टीमों एवं लगभग साढ़े पांच लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितम्बर से 1

अक्टूबर, 2022 तक सभी जिला मुख्यालयों में हुआ जिसमें 3,127 टीमों से लगभग 34,700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्यस्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 2022 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में किया गया, जिसमें लगभग 3,700 खिलाड़ियों एवं 1,000 ऑफिशियल्स ने भाग लिया।

पदक विजेताओं को आकर्षक अनुदान एवं नियुक्ति

पदक विजेताओं को आकर्षक अनुदान : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 71 के क्रम में खिलाड़ियों को ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर देय राशि 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर देय राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर देय राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर राशि 1 करोड़ रुपये किये गये हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमश: राशि 1 लाख रुपये, 50 हजार रुपये एवं 30 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान सरकार द्वारा अधिक राशि दी जा रही है। ओलम्पिक, एशियन, कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेता/प्रतिनिधित्व करने वाले अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कृषि भूमि, आवासीय भूखण्ड एवं आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान के तहत खिलाड़ियों को तथा विभिन्न संस्थाओं को प्रतियोगितायें आयोजित करवाने हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलम्पिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित खिलाड़ियों/पैरा खिलाड़ियों/कोच के लिए एसपीपी (Sports Person Pension) योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन उपलब्ध करवायी जायेगी।

आउट ऑफ टर्न नियुक्ति : बिना बारी (आउट ऑफ टर्न) नियुक्ति के नियमों के अन्तर्गत 229 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें 'ए' वर्ग में 13, 'बी' वर्ग में 23 एवं 'सी' वर्ग में 193 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार

महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के तहत अब 5-5 लाख रुपये मिलेंगे। इससे पहले एक-एक लाख रुपये दिये जाते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 7.50 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए टी.ए/डी.ए की राशि 500 व 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 व 600 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी कर दी गई है।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल, 2021 ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर 6 खेलों में (कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, हॉकी, शूटिंगबॉल (बालक वर्ग) एवं खो-खो (बालिका वर्ग) आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने इन ओलम्पिक खेलों में भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड् कायम किया। इन खेलों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ऐसा कीर्तिमान करने वाला राजस्थान प्रदेश पूरे विश्व में पहला है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियां

- बालिका बास्केटबॉल अकादमी, जयपुर
- बालिका हॉकी अकादमी, अजमेर
- बालक फुटबॉल अकादमी, जोधपुर
- बालिका एथलेटिक्स अकादमी, जयपुर
- बालिका वॉलीबॉल अकादमी, जयपुर
- बालक कबड्डी अकादमी, करौली
- बालक बास्केटबॉल अकादमी, जैसलमेर
- बालिका तीरन्दाजी अकादमी, जयपुर
- बालिका हैण्डबॉल अकादमी, जयपुर
- बालक तीरन्दाजी अकादमी, उदयपुर
- बालक वॉलीबॉल अकादमी, झुंझुनूं
- बालक एथलेटिक्स अकादमी, श्रीगंगानगर
- बालक हॉकी अकादमी, जयपुर
- बालक बास्केटबॉल अकादमी (सीनियर वर्ग), जयपुर
- बालक कुश्ती अकादमी, भरतपुर
- बालिका फुटबॉल अकादमी, कोटा
- बालक साइक्लिंग अकादमी, बीकानेर
- बालक हैण्डबाल अकादमी, जैसलमेर
- बालक तीरन्दाजी अकादमी, डूंगरपुर
- बालक/बालिका कबड्डी अकादमी, चूरू
- आवासी खेल स्कूल, जयपुर

प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम – मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना

मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित करने के लिए विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इस हेतु 23 स्थानों के जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जायेगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य खेल संस्थान (Rajasthan State Sports Institute) की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 11 नवम्बर, 2022 को इसका उद्घाटन किया गया।

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से रिहैबिलिटेशन सेंटर (Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Centre) बनाया जायेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर व महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियां

राजस्थान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की 21 अकादमियां संचालित हैं। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी प्रारंभ कर दी गई है। राजगढ़ (सादुलपुर) चूरू में कबड्डी अकादमी शुरू कर दी गई। राज्य में खेल व खिलाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, खेल मंत्री श्री अशोक चांदना एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष ओलम्पियन अर्जुन अवॉर्डी पद्मश्री डॉ. कृष्णा पूनिया की सकारात्मक सोच के चलते 13 खेलों में 11 करोड़ एक लाख 88 हजार सत्तर रुपये की अनुदान राशि 1,386 पदक विजेता खिलाड़ियों के खाते में जमा की गई है।

हेल्प डेस्क की स्थापना

खिलाड़ियों की समस्याओं को हल करने के लिए खेल परिषद में एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहां खिलाड़ी अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। सवाई मानसिंह स्टेडियम सहित प्रदेश के सभी स्थानों पर खिलाड़ियों से पे एंड प्ले के नाम पर निश्चित राशि वसूली जा रही थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब खिलाड़ी जयपुर सहित प्रदेश भर में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण काल के दौरान लगने वाली चोटों से राहत दिलवाने और उन्हें उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसायटी से एम.ओ.यू किया और एम.एम.एस स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर शुरू किया। देश में इस तरह का यह पहला केन्द्र है।

सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक्स सेन्टर में सिन्थेटिक टर्फ बिछाया गया, जहां खिलाड़ी विश्वस्तरीय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार 26 जनवरी, 2023 से ग्रामीण ओलम्पिक खेलों की भांति अब शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।

आई एम शक्ति उड़ान योजना

प्रदेश की महिलाओं को सौगात: रूढ़ियों से आजादी की उड़ान

गजाधर भरत
जनसंपर्क अधिकारी

माहवारी एक प्रकृति पदत्त प्रक्रिया है किन्तु रूढ़ीवादी सोच के चलते महिलाओं को इस दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संकोच और लोक लाज के नाम पर महिलाएं कुण्ठित और एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। दूरस्थ और ग्रामीण परिवेश में जानकारी के अभाव में माहवारी के दौरान वैज्ञानिक साधनों का उपयोग न करने से कई महिलाएं कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की इस वेदना का संवेदनशील निराकरण करते हुए वर्ष 2021 के दिसम्बर माह में आई एम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की।

उद्देश्य

उड़ान योजना का उद्देश्य प्रदेश की समस्त किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता हेतु प्रबंधन के लिए महिलाओं सहित आमजन को जागरूक किया जाना एवं संवेदनशील बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है।

वितरण

प्रथम चरण में जहां इस योजना के तहत 29 लाख किशोरियों और महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये गए। वहीं योजना के द्वितीय चरण में 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाने के लक्ष्य के अन्तर्गत 90 प्रतिशत सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जा चुका है।

पात्रता

उड़ान योजना अन्तर्गत प्रदेश की 10 से 45 वर्ष तक की समस्त बालिकाएं और महिलाएं पात्र हैं।

योजना के तीन अहम पहलू

उड़ान योजना के तीन अहम पहलुओं में से प्रथम सेनेटरी नैपकिन क्रय एवं आपूर्ति करना है। दूसरा नैपकिन वितरण व्यवस्था तंत्र है। प्रभावी संचार रणनीति के माध्यम से जागरूकता हेतु व्यापक आई.ई.सी. अभियान तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है।

वितरण व्यवस्था

प्रदेश में लगभग 96 हजार 655 वितरण केंद्रों के द्वारा नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं।

वितरण व्यवस्था से संबंधित विभाग

उड़ान योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। जिसके तहत निदेशालय महिला अधिकारिता, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं है। वहीं शिक्षा विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग योजना अन्तर्गत वितरण व्यवस्था में सहभागी विभाग हैं।

योजना की प्रगति

योजना का प्रथम चरण दिसंबर 2021 में आरंभ हुआ जिसके तहत समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं सीडीपीओ ब्लाकों के 1410 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 29 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण के लक्ष्य के तहत 90 प्रतिशत का वितरण किया जा चुका है।

प्रोत्साहन

महिला एवं सहायता समूह, सामाजिक संस्थानों एवं एनजीओ को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता कार्य हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

स्वस्थ्य, सुखद सपनों की उड़ान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से उड़ान योजना प्रदेश की किशोरियों और महिलाओं के लिए एक ऐसी सौगात है जो उन्हें घूंघटों और रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़कर माहवारी के दौरान की मुश्किलों से आजादी दे रही है। अब प्रदेश की किशोरियां और महिलाएं स्वस्थ्य, सुखद सपनों की उड़ान भर रही हैं।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

युवाओं के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार

हेमेन्द्र सिंह
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

प्रत्येक युवा अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है जिसके लिए उसके पास रोजगार का अच्छा साधन होना जरूरी है। राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाती रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए एवं युवाओं को सशक्त, रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 1 फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना शुरू की। इसके अन्तर्गत राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रतिमाह आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा रहा है।

बजट घोषणा 2021-22 में इस योजना को बेहतर बनाते हुए प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आदि के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास एवं संवर्धन किया जा रहा है ताकि युवाओं को कौशल एवं रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत राज्य बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह एवं महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आशार्थियों को प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करवाई जा रही है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसकी अवधि न्यूनतम 3 माह रखी गई है। वहीं प्रदेश के राजकीय विभाग एवं उपक्रम जैसे राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग उद्योग विभाग आदि में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप करवाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को 3,000 से 3,500 रुपये तक प्रतिमाह भत्ता देय था जिसे बजट घोषणा 2021-22 में एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी करते हुए 4,000 व 4,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो बेरोजगार आशार्थियों को दो वर्ष की अवधि तक बेरोजगारी भत्ता देय है। अब तक राज्य के लगभग 6 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा अगस्त 2022 तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल राशि लगभग 1603.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

योग्यता के अन्तर्गत आशार्थी को राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। आवेदन के समय आशार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए। भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। सामान्य आशार्थी के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए 35 वर्ष है। आशार्थी का रोजगार कार्यालय में निरन्तर पंजीकृत होने के साथ ही आवंटित विभाग, उपक्रम में इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से जनआधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय है।

राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए चलाए जा रहे फ्लैगशिप कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को भी सम्मिलित किया है। योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय व कौशल प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप के मॉनिटरिंग का कार्य जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपा गया है।

योजना के उद्देश्य

- युवा आशार्थियों को आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान कर आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना।
- प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं नवाचारों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर विकल्पों की राह आसान करना।
- स्वरोजगार के प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना।

महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की अभिनव पहल

अभिषेक कुमार चतुर्वेदी
स्वतंत्र लेखक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से राजस्थान में सत्र 2022-23 में एक हजार 94 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। जिनमें 2.50 लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में जहां हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी महंगी होती जा रही थी, वहां माता-पिता का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में दाखिला कराने का सपना अब राज्य सरकार की अभिनव पहल पर साकार होने जा रहा है। निजी विद्यालयों में लगने वाली भारी भरकम फीस को गरीब और कमजोर वर्ग वहन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वे मायूस होते थे लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा एक से बाहरवीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसमें सहशिक्षा की व्यवस्था की गई, ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिका वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेजी का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा से व्यापार और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

योजना की शुरुआत जून 2019 में की गई। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना करने का निर्णय लेकर प्रारंभ में 33 विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों के प्रति अभिभावकों और विद्यार्थियों के बढ़ते उत्साह को देखकर वर्ष 2020-21 में 172 ब्लॉक मुख्यालय पर विद्यालयों का संचालन किया गया। अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण राज्य सरकार द्वारा 5 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों और गांव में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। दौसा जिले के छतरी वाली ढाणी में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मुताबिक वर्ष 2020-21 में यहां 88 विद्यार्थी थे, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 242 हो गए हैं। इस विद्यालय में अध्ययनरत ज्यादातर विद्यार्थी निजी विद्यालयों से आए हैं। शैक्षणिक, खेल और सह-शैक्षणिक जैसी गतिविधियां के परिणामस्वरूप इस विद्यालय के खिलाड़ियों ने 65वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही, चार खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। एक खिलाड़ी ने योगा ओलंपियाड में व्यायाम में स्वर्ण पदक जीता है। इसी विद्यालय की कक्षा दसवीं की छात्रा निहारिका देव पहले निजी विद्यालय में पढ़ती थी, जहां उन्हें भारी-भरकम फीस देनी होती थी, लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने से अब इंग्लिश में पढ़ना आसान हो गया है।

इसी तरह कक्षा सात के छात्र शिफान अली का कहना है कि वह पहले प्राइवेट इंग्लिस मीडियम विद्यालय में पढ़ता था जहां उसके परिवार को 17 से 20 हजार रुपये तक फीस चुकानी पढ़ती थी, लेकिन राज्य सरकार के नवाचार से अब उसके परिवार पर शिक्षा का बोझ नहीं है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश लेना उसका एक बेहतरीन निर्णय रहा है। विद्यालय में गेम्स, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका विद्यार्थी सदुपयोग कर पा रहे हैं और उन्हें एक छत के नीचें सारी जानकारी मिल जाती है। अभिभावक श्रीमती मंजू देवी का कहना हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन राजस्थान सरकार की इस योजना के कारण गरीब परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। यहां बच्चों को ड्रेस, सभी प्रकार की पुस्तकें और पोषाहार जैसी सुविधाएं समय पर प्राप्त हो रही हैं।

रोजगार मेला

युवाओं के सपने साकार करने का उचित अवसर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हर हाथ को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। वे चाहते हैं कि राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। उनके इस संकल्प की एक बानगी मेगा जॉब फेयर है। मुख्यमंत्री का मानना है कि रोजगार देने के मामले में सरकार के अलावा निजी क्षेत्र की अहम भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जॉब फेयर के रूप में नियोक्ता कंपनियों और रोजगार चाहने वाले युवाओं को एक मंच मुहैया कराया है, ताकि युवाओं को प्रतिष्ठित नियोक्ता कंपनियों से जुड़ने का मौका मिल सके और नियोक्ता कंपनियों को अच्छे कार्मिक मिल सकें।

सुनील सिंह शेखावत
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

जयपुर में मेगा जॉब फेयर में 3,000 युवाओं को मिले ऑफर लेटर

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जयपुर के बिड़ला अडिटोरियम में 14 और 15 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर में 30,000 से अधिक युवक-युवतियों को साक्षात्कार देने का मौका मिला। इनमें से करीब 3,000 का विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने चयन कर ऑफर लेटर दिए। इसके अलावा करीब 10,000 को शॉर्टलिस्ट कर रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह कोरोना काल के बाद पहली बार जयपुर में बड़ा जॉब फेयर था। इस जॉब फेयर में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को एसएमएस के जरिये पंजीकरण के बारे में सूचित किया गया। युवाओं ने शानदार उत्साह दिखाया और 56,476 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए। इन्हें 70 से अधिक पंजीकृत नियोक्ताओं के साथ साक्षात्कार का मौका मुहैया कराया गया। मेले में करीब 3,000 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए, जो अब सीधे नौकरी ज्वॉइन करेंगे। इसी तरह 10,000 प्रतिभागियों को जब के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों को जल्द ही अगले दौर के साक्षात्कार के लिए सूचित किया जाएगा। इस मेले में नॉलेज पार्टनर ई-एण्ड-वाई थी, जिसके सहयोग से पूरा कार्य डिजिटल और पेपरलेस तरीके से किया गया।

70 से अधिक नियोक्ता कंपनियों की भागीदारी

इस मेगा जॉब फेयर में कृषि, परिधान, इलेक्ट्रनिक्स, खुदरा, वाहन, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, लॉजिस्टक्स, निर्माण, प्रबंधन, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र से

संबंधित देश भर की 70 से अधिक जानी-मानी कंपनियों ने हिस्सा लिया। यह रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं को रोजगार हासिल करने में अत्यंत मददगार रहा है।

मेले में युवाओं को मिले लाखों के पैकेज

जोधपुर की शिखा दाधीच को फेयर में करीब सवा सात लाख रुपये का पैकेज मिला। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए एक ही दिन में इंटरव्यू एवं चयन प्रक्रिया से उन्हें जॉब मिल गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के जॉब फेयर का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के सुगम अवसर उपलब्ध हों। जयपुर निवासी कंचन शर्मा को सी वाई फ्यूचर कंपनी में नौकरी मिली। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

सरकार युवाओं को मौके मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध

मेगा जॉब फेयर के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हर युवा अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहता है। राज्य सरकार युवाओं के सपने साकार करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब तक लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, लगभग इतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख नौकरियों की और घोषणा की गई है। आने वाला बजट राज्य के युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। उन्होंने युवाओं से आगे बढ़कर बजट के लिए अधिक से अधिक सुझाव राज्य सरकार को भेजने का आह्वान किया।

बीकानेर मेगा जॉब फेयर

बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में 29 से 30 नवम्बर के बीच कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। इस जॉब फेयर में लगभग 33 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें 1700 से अधिक युवाओं को मौके पर ही विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑफर लैटर दिए गए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जॉब फेयर में अच्छे पैकेज प्राप्त करने वाले युवाओं को जॉब ऑफर लैटर देकर सम्मानित किया। उन्होंने 10 सर्वश्रेष्ठ कार्य नियोक्ता संस्थाओं व कंपनियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पोर्टिया मेडिकोज व 2,050 हेल्थ केयर के साथ एम.ओ.यू.

किया गया, जिससे राज्य में 10 हजार रोजगार सृजित होंगे। श्री गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि के चेक भी वितरित किये।

हर जिले में जॉब फेयर

प्रदेश सरकार की नीतियों से ही राज्य में निरंतर रोजगार सृजित हो रहे हैं। मेगा जॉब फेयर में पंजीकरण अधिक होने के कारण इसका आयोजन दो दिवसीय किया गया। मेगा जॉब फेयर में मेरिट के आधार पर नौकरी के लिए चयन हुआ तथा युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए गए। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने को अपना दायित्व मानती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जॉब फेयर का आयोजन राज्य के प्रत्येक जिले में करने की घोषणा की।

राज्य सरकार दे रही उद्यमिता को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने व निवेश लाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के कारण ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश भर से आए निवेशकों के साथ 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। साथ ही लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इससे किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों में 5 साल तक की छूट दी गई है। राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को सम्बल

संतोष कुमावत
जनसम्पर्क अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य में 25 जून, 2021 से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अब तक 21,482 बच्चों व विधवा महिलाओं को 160.13 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। योजना के तहत नवम्बर 2022 तक 234 अनाथ बच्चों को 453.20 लाख रुपये, 8,514 विधवा महिलाओं के बच्चों को 949.08 लाख रुपये और 12,734 विधवा महिलाओं को 14,610.83 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ मद से अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार रुपये मृतक के आश्रितों को देय है। नवम्बर 2022 तक 107.46 करोड़ रुपये व्यय कर 21,493 मृतकों के आश्रितों को लाभान्वित किया जा चुका है।

पात्रता

योजनान्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक या बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चे अनुदान, आर्थिक या अन्य सहायता के पात्र होंगे। अनाथ बालक, बालिका या विधवा महिला व उसके बच्चे योजनान्तर्गत वर्णित अनुदान या आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत् लाभ के पात्र हो सकेंगे।

- अनाथ बालक या बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे। पालनहार योजना में वस्त्र, पाठपुस्तकें आदि के लिए दी जाने वाली राशि 2,000 रुपये प्रतिवर्ष एकमुश्त देय होगी।
- कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होगी।
- अनाथ बालक या बालिका तथा विधवा महिलाएं राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।
- अनाथ बालक या बालिका तथा विधवा महिला के परिवार द्वारा कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में वे पात्र नहीं होंगे।
- अनाथ बालक या बालिका व विधवा के बच्चों के मृतक माता/पिता व विधवा के पति के राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम के स्थाई कार्मिक होने की स्थिति में वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- अनाथ बालक/बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में जाना आवश्यक होगा।
- विधवा महिला की कोरोना विधवा पेंशन विधवा महिला की स्वयं या पुत्र की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने या विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह किये जाने पर निरस्त की जा सकेगी। कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आय तथा आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।

अनुदान एवं आर्थिक सहायता

योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले अनाथ बालक अथवा बालिका तथा विधवा महिला एवं उनके बच्चों हेतु निर्धारित अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सूर्य मंदिर, जयपुर

जयपुर अपने उत्कृष्ट मंदिरों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां के मंदिरों की कलात्मकता और वास्तुकला अद्वितीय है। सूर्य मंदिर शहर की गलता पहाड़ी के ऊपर दक्षिण की ओर स्थित है। यह जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शांत वातावरण में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी उत्कृष्ट स्थान है।

आलेख एवं छाया : राजेन्द्र शर्मा

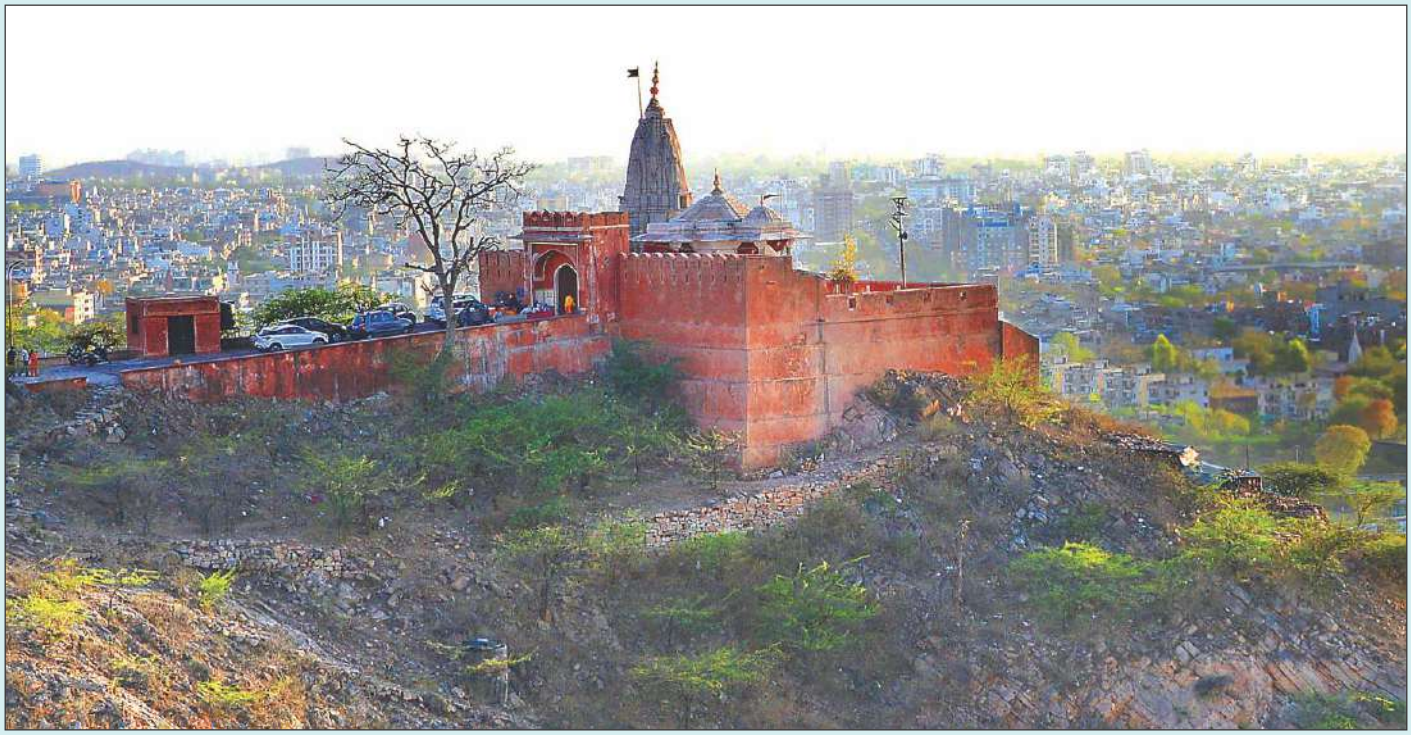

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

4 वर्ष

जनसेवा, सबका सम्मान
आगे बढ़ता राजस्थान

सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म

"राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के सफल 4 वर्ष पूर्ण होने पर, मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख-समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुंमुखी विकास की कामना करता हूं। आइए, हम सब मिलकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा एवं संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन व कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं।"

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

मॉडल स्टेट राजस्थान

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
₹10 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा एवं ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा। अब तक 27.60 लाख मरीजों को ₹3195 करोड़ का निःशुल्क इलाज।

ओल्ड पेंशन स्कीम
1 जनवरी 2004 से नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू।

सरकारी नौकरी
1.36 लाख सरकारी नौकरी दी गई। 1.21 लाख सरकारी भर्तियां प्रक्रियाधीन। 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। अब तक 3 लाख 50 हजार जॉब कार्ड जारी।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल
दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन। लगभग 30 लाख लोगों ने लिया भाग। शहरी ओलम्पिक खेल 26 जनवरी, 2023 से। ये खेल प्रतिवर्ष आयोजित होंगे।

पालनहार योजना
अनाथ एवं अन्य पात्रतानुसार बच्चों को प्रतिमाह ₹500 से ₹2500 की आर्थिक सहायता। अब तक 6 लाख 64 हजार बच्चे लाभान्वित।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
प्रतिवर्ष 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल
राज्य में 1670 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा।

बालिकाओं को स्कूटी वितरण
स्कूल व कॉलेज जाने वाली 20,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष स्कूटी का वितरण।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना
राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के दो सैट निःशुल्क।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार व शुक्रवार को दूध वितरण।

टेक्नोलॉजी से विकास
यूनीक आईटी इंस्टीट्यूट-राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर।
मेडि-टेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए-राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, जयपुर।
स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फेसिलिटी-जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब।
फिनिशिंग स्कूल-R-CAT.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन
वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी सहित लगभग एक करोड़ लोगों को दी जा रही है पेंशन।

सस्ती घरेलू बिजली
38.18 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य।

किसानों को सस्ती बिजली
कृषि बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं, इसके लिए ₹16 हजार करोड़ का वार्षिक अनुदान।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
किसानों को कृषि बिजली कनेक्शनों पर ₹1000 प्रतिमाह का अतिरिक्त अनुदान। 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य।

उड़ान योजना
बालिकाओं व महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क। लगभग 1.45 करोड़ किशोरियां एवं महिलाएं लाभान्वित।

इंदिरा रसोई
₹8 में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन। प्रदेश में 951 इंदिरा रसोई संचालित। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹17 का अनुदान।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
दूध उत्पादकों को प्रति लीटर ₹5 का अनुदान। अब तक कुल ₹718 करोड़ का अनुदान।

राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये • 1,00,000 प्रतियां